



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-31012024-251662
CG-GJ-E-31012024-251662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 29 जनवरी, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान सेवाएँ) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/001.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान सेवाएँ) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां परिभाषित शब्दों का वही अभिप्राय होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों को तदनुसार समझा जाएगा -

- (क) "खाता जारी करने की सेवा" का अभिप्राय निम्नलिखित में से कोई भी सेवा है:
- I. भुगतान सेवा प्रयोक्ता को भुगतान खाता जारी करने की सेवा;
 - II. भुगतान खाते के संचालन के लिए आवश्यक कोई भी सेवा, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:
 - क) सेवा (सीमा पार धन अंतरण सेवा से इतर) जो धन को भुगतान खाते में रखने में सक्षम बनाती है; या
 - ख) सेवा (सीमा पार धन अंतरण सेवा से इतर) जो भुगतान खाते से धन की निकासी सक्षम बनाती है;
- (ख) "अधिनियम" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) है;
- (ग) "एजेंट" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भुगतान सेवा प्रदाता की ओर से उसे प्रदान की गई भुगतान सेवाओं के संबंध में कार्य करता है;
- (घ) "लागू निधियां" का अभिप्राय है
- i. भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान लेनदेन के निष्पादन के लिए भुगतान सेवा प्रयोक्ता से या उसके लाभ के लिए प्राप्त धनराशि
 - ii. भुगतान लेनदेन के निष्पादन के लिए भुगतान सेवा प्रयोक्ता की ओर से एक भुगतान सेवा प्रदाता से अन्य भुगतान सेवा प्रदाता को प्राप्त धनराशि;
- (ङ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है;
- (च) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" का अभिप्राय वह प्रमाणपत्र है जिसमें विनियमन 10 के अधीन भुगतान सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरण का विवरण शामिल है;
- (छ) "कंपनी" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 20 में परिभाषित कंपनी है;
- (ज) "नियंत्रण" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा 27 में परिभाषित नियंत्रण है।
- (झ) "सीमा पार धन अंतरण सेवा" का अभिप्राय निम्नलिखित में से कोई एक सेवा है:
- i. आईएफएससी में किसी व्यक्ति से, चाहे वह प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में हो, आईएफएससी के बाहर किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने या भेजने की व्यवस्था करने के लिए पैसे स्वीकार करना;
 - ii. आईएफएससी के बाहर के किसी व्यक्ति से धन प्राप्त करना या आईएफएससी के बाहर के किसी व्यक्ति से धन की प्राप्ति की व्यवस्था करना, चाहे वह प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में हो, आईएफएससी में किसी भी व्यक्ति या आईएफएससी के बाहर के किसी व्यक्ति को धन भेजने या भेजने की व्यवस्था करना;
- (ञ) "ई-मनी" का अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत कोई भी मौद्रिक मूल्य है -
- i. किसी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अंकित है;
 - ii. भुगतान खाते के उपयोग के माध्यम से भुगतान लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है;
 - iii. जारीकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है; और
 - iv. इसके जारीकर्ता पर दावे का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्पष्टीकरण:* "ई-मनी" शब्द में किसी भी व्यक्ति की जमा राशि शामिल नहीं है।

- (ट) "ई-मनी जारी करने की सेवा" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रयोक्ता को भुगतान लेनदेन करने की अनुमति देने के उद्देश्य से भुगतान सेवा प्रयोक्ता को ई-मनी निर्गत करने की सेवा है;
- (ठ) "एस्क्रो सेवा" का अभिप्राय एक समझौते के अधीन भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा है, जिसके अधीन ऐसे भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लेन-देन की प्रक्रिया को पूरा करने में शामिल दो पक्षों की ओर से आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंकिंग कंपनी (आईबीसी) के एस्करो खाते में धन रखा जाता है।;
- (ड) 'समूह एंटिटियों' का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक संबंध अर्थात् (i) सहायक - मूल कंपनी (इंड-एएस 110/लेखांकन मानक 21 में परिभाषित), (ii) संयुक्त उद्यम (इंड-एएस 28/लेखांकन मानक 27 में परिभाषित), (iii) एसोसिएट (इंड-एएस 28/लेखांकन मानक 23 में परिभाषित), (iv) सामान्य ब्रांड नाम या (v) इक्विटी शेयरों में (20% और उससे अधिक का) निवेश के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक एंटिटियां शामिल होंगी।
- (ढ) "होलिडिंग कंपनी" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा 46 में परिभाषित से कंपनी है;
- (ण) "आईएफएससी या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) में है;
- (प) "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" का वही अभिप्राय होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 50 में दिया गया है और कोई अन्य व्यक्ति जिसे भुगतान सेवा प्रदाता प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक घोषित करेगा;
- (फ) "व्यापारी" का अभिप्राय आईएफएससी के भीतर या बाहर के सभी व्यक्तियों से है और इनमें ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान स्वीकार करते हैं;
- (ब) "व्यापारी अधिग्रहण सेवा" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रदाता और व्यापारी के मध्य एक समझौते के अधीन किसी व्यापारी के लिए भुगतान लेनदेन को स्वीकार करने और संसाधित करने की ऐसी किसी सेवा से है, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान लेनदेन के अनुसार व्यापारी को धन का अंतरण होता है, भले ही भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान लेनदेन के संबंध में कोई धन प्राप्त होता है अथवा नहीं;
- (भ) "मनी" में ई-मनी शामिल है लेकिन प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति और मूल्य के किसी भी अपवर्जित डिजिटल प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं किया जाएगा;
- (म) "नोडल बैंक" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अभिनिर्धारित आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंकिंग कंपनी (आईबीसी) से है जिसे प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूति जमा के रखरखाव के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए एस्करो अकाउंट में धन रखने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है।
- (य) "अमुक संख्यक पक्ष सेवा प्रदाता" का अभिप्राय ऐसे सेवा प्रदाता से है जो तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता की आपूर्ति श्रृंखला का अंग है और एक या अधिक भुगतान सेवा प्रदाताओं को सेवाओं की अंतिम प्रदायगी करता है;
- (र) "भुगतान खाता" का अभिप्राय एक या अधिक भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के नाम पर रखे गए खाते या सुविधा (या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में) से है और इसका उपयोग भुगतान आदेश शुरू करने या भुगतान लेनदेन के निष्पादन या दोनों के लिए किया जाता है;
- स्पष्टीकरण:* "भुगतान खाता" शब्द में बैंक खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड शामिल हैं।
- (ल) "भुगतान लिखत" का अभिप्राय लिखित निदेश, वैयक्तिकृत उपस्कर या प्रक्रियाओं के सेट से है जिसके माध्यम से भुगतान सेवा प्रयोक्ता भुगतान आदेश देता है;
- (व) "भुगतान आदेश" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रयोक्ता द्वारा भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान लेनदेन के निष्पादन का अनुरोध संबंधी कतिपय निर्देश से है;

- (श) "भुगतान सेवाएं" का अभिप्राय इन विनियमों की अनुसूची 1 के भाग क में निर्दिष्ट गतिविधियों में से किसी एक से है, लेकिन इसमें इन विनियमों की अनुसूची 1 के भाग ख में निर्दिष्ट कार्यकलाप शामिल नहीं हैं;
- (ष) "भुगतान सेवा प्रदाता" का अभिप्राय एक या अधिक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए, इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कंपनी से है।
- (कक) "भुगतान सेवा प्रयोक्ता" का अभिप्राय आईएफएससी में या आईएफएससी के बाहर किसी व्यक्ति से है, जो भुगतानकर्ता या आदाता, या दोनों की क्षमता में भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई भुगतान सेवा का उपयोग करता है;
- (कख) "भुगतान प्रणाली" का वही अभिप्राय होगा जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) में दिया गया है;
- (कग) "भुगतान लेनदेन" का अभिप्राय भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी अंतर्निहित दायित्व सहित या रहित, वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करने के प्रयोजन से धन रखने, अंतरित करने या आहरित करने के कार्य से है;
- (कघ) "नियमित भुगतान सेवा प्रदाता" का अभिप्राय महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता के अलावा, इन विनियमों के विनियमन 10 के अधीन अधिकृत किसी भुगतान सेवा प्रदाता से है;
- (कङ) "सुरक्षा संस्थान" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (बैंकिंग) विनियम, 2020 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के क्रमशः खंड (डग) और (डग) में परिभाषित आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंकिंग कंपनी (आईबीसी) से है।
- (कच) "महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता" का अभिप्राय किसी ऐसे भुगतान सेवा प्रदाता से है, जो इन विनियमों के विनियमन 4 के अधीन नमोनिदेशित है;
- (कछ) "निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य विनियमन की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुद्राएं हैं;
- (कज) "सहायक" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 87 में परिभाषित कंपनी से है;
- (कझ) "तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता" का अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी अन्य सेवा प्रदाता की आपूर्ति श्रृंखला के अंग के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक भुगतान सेवा प्रदाता को सेवाएं प्रदान करता है;
- (कट) "तृतीय-पक्ष सेवा संबंध" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रदाता को तृतीय पक्ष द्वारा गतिविधियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और कृत्यों के रूप में एक या अधिक सेवाओं या उसके कुछ हिस्सों के प्रावधान के लिए औपचारिक व्यवस्था से है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:
- i) एक इंट्रा-ग्रुप सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान सेवा प्रदाता को सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था;
 - ii) भुगतान सेवा प्रदाता और उनके कर्मचारियों, ग्राहकों या समकक्षों के बीच लेनदेन अनुसमर्थित करने वाली सेवाएँ
- (कठ) "वर्चुअल डिजिटल एसेट" का वही अभिप्राय होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 की उप-धारा 47क में दिया गया है;
- (2) इन विनियमों में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के अभिप्राय क्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उन्हें प्रदान किए गए हैं।

अध्याय II

भुगतान सेवा प्रदाताओं को प्राधिकार

भुगतान सेवाएँ शुरू करने या जारी रखने के लिए प्राधिकार की आवश्यकता

3. 'आईएफएससी' में या उससे भुगतान सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा।

भुगतान सेवाएँ प्रदान करने के प्राधिकार के लिए आवेदन

4. (1) आईएफएससी में या उससे भुगतान सेवाएं प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति (जिसे इसके बाद "आवेदक") कहा जाएगा, भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को इसके द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और विधि से आवेदन प्रस्तुत करेगा;
- बशर्ते कि इन विनियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट व्यक्तियों को इन विनियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा।
- (3) भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में अधिकृत व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची I के भाग क में निर्दिष्ट एक या अधिक भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- (4) उप-विनियम (3) के बावजूद, किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया जाएगा, यदि उप-विनियम (3) की शर्तों को पूरा करने के अलावा, वह इन विनियमों की अनुसूची I के भाग ग में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है।

विधिक स्वरूप

5. विनियम 4 के अधीन प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के लिए आईएफएससी में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के साथ एक कंपनी के रूप में समाविष्ट होना अपेक्षित होगा।

न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षा

6. (1) भुगतान सेवा प्रदाता, अन्य बातों के साथ-साथ, इन विनियमों की अनुसूची V में निर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं का निरंतर आधार पर अनुपालन करेगा।
- (2) प्राधिकरण द्वारा भुगतान सेवा प्रदाताओं की न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं की निरंतर प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और प्राधिकरण उस वित्तीय परिदृश्य में उभरते जोखिमों और परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए आवश्यकतानुसार न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं में समायोजन भी कर सकता है जिसमें भुगतान सेवा प्रदाता काम कर रहा है।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप अतिरिक्त निवल मूल्य अपेक्षाएं, यदि कोई हों, भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त निवल मूल्य के बारे में प्राधिकरण द्वारा मांग किए जाने की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरी की जाएंगी।
- (4) यदि किसी भुगतान सेवा प्रदाता का निवल मूल्य उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो जाएगा, तो प्राधिकरण त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।
- 5) प्राधिकरण अपेक्षा करेगा कि भुगतान सेवा प्रदाता प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों का सामना करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए उनके निवल मूल्य पर तनाव परीक्षण कराए।

उपयुक्त और उचित अपेक्षाएं

7. (1) एक आवेदक या भुगतान सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि उसके निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति (बाद में सामूहिक रूप से "प्रासंगिक व्यक्ति" के रूप में संदर्भित) इन विनियमों की अनुसूची III में निर्दिष्ट "उपयुक्त और उचित अपेक्षाओं" (एफपीआर) को पूरा करते हैं।

- (2) प्राधिकरण भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में प्राधिकार के अनुरोध को संसाधित करने के दौरान या उसके बाद किसी भी समय एफपीआर के अधीन किसी भी प्रासंगिक व्यक्ति (यों) का मूल्यांकन कर सकता है।
- (3) किसी आवेदक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा एफपीआर के अधीन किए गए मूल्यांकन और प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के परिणाम में किसी भी भिन्नता के मामले में, प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम मान्य होगा।

प्राधिकार अपेक्षाएं

8. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन किसी आवेदन का मूल्यांकन करते समय, प्राधिकरण उन सभी मामलों को ध्यान में रखेगा जिन्हें वह प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्रासंगिक मानता है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:

- क. आवेदक के प्रासंगिक व्यक्तियों के पास पर्याप्त अनुभव अपेक्षित है, जिसमें भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में प्रदान की जाने वाली गतिविधियों में किसी अन्य क्षेत्राधिकार में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा प्राधिकरण भी शामिल है;
- ख. आवेदक के पास अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण, संचार सुविधाएं और जनशक्ति जैसी आवश्यक बुनियादी संरचना होनी चाहिए;
- ग. आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट निवल मूल्य की अपेक्षा को पूरा करे;
- घ. आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता;
- ङ. आवेदक और संबंधित व्यक्ति "उपयुक्त और उचित" अपेक्षाओं को पूरा करें;
- च. क्या प्राधिकरण द्वारा आवेदक या उसके समूह की एंटिटियों को अतीत में प्राधिकार से इनकार कर दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे इनकार का आधार क्या है;
- छ. आवेदक या प्रासंगिक व्यक्ति कानून के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही हैं; और
- ज. यदि ऐसा प्राधिकार प्रदान किया जाता है, तो भुगतान सेवा प्रदाता के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों सहित भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के हितों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा।

सैद्धान्तिक अनुमोदन का निर्गमन

9. (1) प्राधिकार के लिए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि उक्त आवेदन, प्रथम दृष्टया, प्राधिकार देने की शर्तों को पूरा करता है, तो प्राधिकरण आवेदक को "सैद्धान्तिक अनुमोदन" पत्र जारी कर सकता है और आवेदक को अपेक्षित होने पर प्राधिकार प्रदान करने से पहले ऐसी शर्तों को पूरा करना होगा जो प्राधिकरण द्वारा "सैद्धान्तिक अनुमोदन" पत्र में निर्दिष्ट की जाएंगी।
- (2) जिस आवेदक को "सैद्धान्तिक अनुमोदन" जारी किया गया है, उसे प्राधिकार प्रदान करना पूर्णतः प्राधिकरण के विवेक पर निर्भर करेगा और प्राधिकरण द्वारा विनियम 10 के अधीन प्राधिकार के लिए "सैद्धान्तिक अनुमोदन" जारी करने से आवेदक स्वचालित रूप से अनुमोदन प्राप्त करने का पात्र नहीं बनेगा।
- (3) आवेदक "सैद्धान्तिक अनुमोदन" लागू होने की अवधि के दौरान आवेदक के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- (4) प्राधिकरण, उप-विनियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद या जब उसे आवेदक, जिसे "सैद्धान्तिक अनुमोदन" जारी किया गया है, के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के बारे में पता चलेगा, तो वह आवेदक को "सैद्धान्तिक अनुमोदन" दिए जाने के निर्णय की समीक्षा करेगा।
- (5) उप-विनियम (4) पर की गई समीक्षा के परिणाम आवेदक को सूचित किए जाएंगे।
- (6) यदि उप-विनियम (4) के अधीन समीक्षा के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण आवेदक को दी गई "सैद्धान्तिक स्वीकृति" को निरस्त करने का निर्णय लेता है, तो प्राधिकरण मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

प्राधिकार प्रदान करना

- 10.(1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आवेदक ने इन विनियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है और भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने का पात्र है, प्राधिकरण, आवेदक को, यथा उपयुक्त शर्तों के अधीन प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन दिया गया प्राधिकार प्रमाणपत्र तब तक वैध होगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाएगा या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा इसे अभ्यर्पित नहीं किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और ऐसे आवेदन को दाखिल करने की तारीख से छह माह के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण, यदि चाहे तो, या तो प्राधिकार प्रदान करते समय या उसके बाद किसी अन्य समय पर, भुगतान सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट राशि और प्रतिभूतित जमा बनाए रखने की अपेक्षा कर सकता है।
- (5) भुगतान सेवा प्रदाता अपने नोडल बैंक के रूप में आईएफएससी बैंकिंग इकाई या आईएफएससी बैंकिंग कंपनी चिह्नित करेगा और विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षा के अंग के रूप में "नोडल बैंक" के रूप में कार्य करने के लिए उक्त बैंक की सहमति के साथ प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।
- (6) भुगतान सेवा प्रदाता उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकार प्रदान किए जाने के अनुदान के बाद किसी भी समय, पहले से प्रस्तुत जानकारी या विवरण में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- (7) प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन भुगतान सेवाओं को शुरू करने या जारी रखने के लिए एक या अधिक शर्तों में संशोधन कर सकता है।

प्राधिकार से इनकार:-

11. (1) यदि प्राधिकरण की राय है कि आवेदक को कतिपय कमियों के कारण प्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वह आवेदक को आवेदन में इनके बारे में सूचित करेगा और भेजने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इन्हें सुधारने का आग्रह करेगा।
- (2) यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कमियों को सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण प्राधिकार देने से इनकार कर देगा और आवेदक को इसकी सूचना देगा।
बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई इनकार नहीं किया जाएगा।
- (3) आवेदक इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन को प्राधिकार प्रदान करने से पहले किसी भी समय वापस ले सकता है।
- (4) आवेदक जिसका आवेदन उपर्युक्त विनियम के उप-विनियम (2) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया है या उप-विनियम (3) के अधीन वापस ले लिया गया है, प्राधिकरण द्वारा उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन को अस्वीकार किए जाने की सूचना की तारीख या उप-धारा (3) के अधीन आवेदन को वापस लिए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात प्राधिकरण को नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

प्राधिकार का निरसन

- 12.(1) यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकार की किसी भी शर्त, इन विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण के आदेशों या निदेशों, या भुगतान सेवा की गतिविधि का पालन करने में विफल रहा है और प्रदाता भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे भुगतान सेवा प्रदाता को दिए गए प्राधिकार को रद्द किया जा सकता है।

- (2) प्राधिकार को रद्द करने का आदेश संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद जारी किया जाएगा।

प्राधिकरण का अभ्यर्पण

13. (1) भुगतान सेवा प्रदाता उसे दिए गए प्राधिकार को वापस करने के लिए, शर्तों के अनुपालन में और अनुसूची III में दिए गए प्रारूप में प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्राधिकार के अभ्यर्पण से आईएफएससी के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र या भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकार को यथोचित शर्तों के अधीन अभ्यर्पित करने की अनुमति दे सकता है।
- (3) प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा, वह तारीख निर्दिष्ट कर सकता है जिस तारीख से प्राधिकार प्रभावी नहीं रहेगा।

प्राधिकार के निरसन या अभ्यर्पण पर प्रतिभूति जमा का विनियोग

14. (1) जहां भुगतान सेवा प्रदाता ने अपना प्राधिकार अभ्यर्पित कर दिया है या प्राधिकरण द्वारा भुगतान सेवा प्रदाता का प्राधिकार रद्द कर दिया गया है, प्राधिकरण भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं, जो भुगतान सेवा प्रदाता के ग्राहक हैं, की बकाया और दावा की गई किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए, विनियमन 10 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो, का उपयोग कर सकता है।
- (2) जहां भुगतान सेवा प्रदाता ने अपना प्राधिकरण अभ्यर्पित कर दिया है या प्राधिकरण द्वारा भुगतान सेवा प्रदाता का प्राधिकरण रद्द कर दिया गया है, प्राधिकरण विनियम 10 के उप-विनियम ((4) या किसी भी शेष राशि में उल्लिखित प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो, को जारी करेगा यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि:
- (क) किसी भी भुगतान सेवा प्रयोक्ता, जो भुगतान सेवा प्रदाता का ग्राहक है, का कोई बकाया दावा नहीं है; और
- (ख) भुगतान सेवा प्रदाता ने इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के अभ्यर्पण के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है।
- (3) इस विनियम में किसी भी बात के बावजूद, किसी भी वैध बकाया दावे या देय राशि को पूरा करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार के अभ्यर्पण या प्राधिकार के निरसन के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद प्रतिभूति जमा जारी किया जाएगा।

अध्याय III

संचालन का प्रारम्भ

15. (1) भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से छः (6) माह के भीतर अपना परिचालन शुरू करेगा।
- (2) भुगतान सेवा प्रदाता उप-विनियम (1) के अधीन निर्धारित प्रारंभ की नवीनतम तारीख से कम से कम दो माह पहले संचालन शुरू करने के लिए अपने निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से समय के विस्तार के लिए आवेदन जमा करेगा, यदि ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, समयावधि में बढोतरी के अनुरोध के पीछे के कारणों, मांगी गई बढोतरी की अवधि, देरी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और किसी भी अन्य जानकारी का पूरा विवरण शामिल होगा, जो, भुगतान सेवा प्रदाता की राय में विस्तार के अनुरोध के लिए प्रासंगिक है।

- (4) उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि भुगतान सेवा प्रदाता निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना परिचालन शुरू नहीं कर सकता है, तो वह समय अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि, जैसा वह उचित समझे, लेकिन तीन (3) माह से अधिक नहीं, तक बढ़ा सकता है।
बशर्ते कि इस विनियमन के अधीन समय अवधि का कोई भी विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।

अध्याय IV

शासन

शासन व्यवस्था

- 16.(1) एक भुगतान सेवा प्रदाता को अपनी शासन व्यवस्थाओं, अर्थात् वह ढाँचा जिसके अधीन उसका बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन कार्य करेगा, का व्यापक और स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण करना होगा।

- (2) शासन व्यवस्था में, कम से कम, निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क. बोर्ड और किसी समिति या उप-समिति की भूमिका और संरचना;
- ख. वरिष्ठ प्रबंधन संरचना;
- ग. प्रबंधन और बोर्ड के बीच रिपोर्टिंग लाइनें;
- घ. स्वामित्व - ढाँचा;
- ङ. आंतरिक शासन नीति;
- च. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन;
- छ. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएँ;
- ज. निष्पादन जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएँ।

- (3) भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भुगतान सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य कार्यकलाप नहीं करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण, सामान्य या विशेष अनुमति से, भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान सेवाएँ प्रदान करने के अलावा अन्य कार्यकलापों की अनुमति दे सकता है।

- (4) कंपनी के रूप में स्थापित वित्तीय संस्थान, जिसे पहले ही आईएफएसई द्वारा अधिकृत किया जा चुका है, इन विनियमों के अधीन भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार की मांग कर सकती है।

- (5) भुगतान सेवा प्रदाता अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली भुगतान सेवाओं के लिए स्पष्ट और व्यापक नियम और प्रक्रियाएँ बनाएगा और भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं को ऐसी भुगतान सेवाएँ उपलब्ध कराने में जोखिमों, शुल्क और अन्य भौतिक लागतों की सटीक समझ रखने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा।

17. (1) भुगतान सेवा प्रदाता जोखिम प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों सहित जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीति विकसित करेगा जो उसे भुगतान सेवा(ओं) को प्रदान करते समय उत्पन्न होने वाले या उसके द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिमों की सीमा का अभिनिर्धारण करने, मापने, निगरानी करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है। (एस)। ऐसी नीति भुगतान सेवा प्रदाता के बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगी।

- (2) भुगतान सेवा प्रदाता परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रणालियों, नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ सुदृढ़ परिचालन जोखिम-प्रबंधन ढाँचा स्थापित करेगा।

- (3) भुगतान सेवा प्रदाता जो एक या अधिक भुगतान प्रणालियों के साथ लिंक स्थापित करता है, लिंक से संबंधित जोखिमों का अभिनिर्धारण, निगरानी और प्रबंधन करेगा।

अध्याय V

तृतीय-पक्ष सेवा संबंधों का जोखिम प्रबंधन

महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान और गंभीरता का मूल्यांकन

- 18.(1) भुगतान सेवा प्रदाता उन सेवाओं की गंभीरता का आकलन करने के लिए जोखिम-आधारित ढांचा स्थापित करेगा जो वे किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने की योजना बनाएगा।
- (2) ऐसा मूल्यांकन संचालन शुरू होने के समय और उसके बाद महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करने के लिए नियमित अंतराल पर किया जाएगा।
- (3) उप-विनियमन (1) के अधीन ढांचा किसी सेवा को "महत्वपूर्ण" चिह्नित करने के लिए विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगा, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:
 - क. भुगतान सेवा प्रदाता के लिए सेवा का वित्तीय, परिचालन और कार्यनीतिक महत्व।
 - ख. तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाता पर भरोसा करने वाले या उस पर भरोसा करने की सोचने वाले महत्वपूर्ण व्यवसाय संचालन के संबंध में भुगतान सेवा प्रदाता को स्वीकार्य व्यवधान के प्रति सहनशीलता का स्तर।
 - ग. सेवा संबंध के अधीन भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता के साथ साझा किए गए किसी भी डेटा या जानकारी की प्रकृति।
 - घ. किसी सेवा की प्रतिस्थापनीयता में आसानी या उसकी कमी।

ऑनबोर्डिंग और निरंतर निगरानी

19. (1) भुगतान सेवा प्रदाता इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि उचित परिश्रम का स्तर संबंधित सेवा की गंभीरता के समानुपाय में हो किसी महत्वपूर्ण सेवा के लिए तृतीय पक्ष सेवा संबंध व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले समुचित योजना और उचित परिश्रम करेगा।
- (2) उचित परिश्रम प्रक्रिया में जिन कारकों पर विचार किया जाना है उनमें निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:
 - क. परिचालन और तकनीकी क्षमता और ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें (यदि लागू हो) भुगतान सेवा प्रदाता और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता (सामान्य तौर पर या प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में) के बीच किसी भी पूर्व संलिप्तता को शामिल करना शामिल है;
 - ख. तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता की वित्तीय सुदृढ़ता उस सीमा तक कि यह उसकी सेवाओं की डिलीवरी को प्रभावित कर सकती है;
 - ग. आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), साइबर सुरक्षा और अन्य परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता की क्षमता शामिल है;
 - घ. अमुक संख्यक सेवा प्रदाताओं के उपयोग और निगरानी सहित आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों का प्रबंधन;
 - ङ. भौगोलिक निर्भरता और संबंधित जोखिमों का प्रबंधन;
 - च. प्रासंगिक सेवा के वितरण में शामिल प्रमुख कर्मी और उनकी सक्षमता;
 - छ. हितों के संभावित विवाद;
 - ज. अमुक संख्यक सेवा प्रदाता और (यदि प्रासंगिक हो) तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता के विरुद्ध किसी भी हालिया या लंबित प्रासंगिक शिकायतों, अन्वेषणों या मुकदमे का अस्तित्व;
 - झ. महत्वपूर्ण सेवा की इस तरह से प्रदायगी करने की क्षमता जो भुगतान सेवा प्रदाता को उसके विधिक और नियामक दायित्वों का पालन करने की अनुमति देती है;

- ज. भुगतान सेवा प्रदाता की व्यावसायिक रणनीति और योजनाओं का समर्थन करने की क्षमता;
- ट. सेवा और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता की प्रतिस्थापन क्षमता का स्तर
- (3) भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाएँ भुगतान सेवा प्रदाता और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था के माध्यम से खरीदी जाएंगी।
- (4) उप-विनियम (3) में विधिक व्यवस्था में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण के साथ तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा जानकारी साझा करने का उपबंध शामिल होगा।
- (5) भुगतान सेवा प्रदाता अपने संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता की क्षमता की निरंतर निगरानी के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करेगा।

बहिर्गमन की कार्यनीतियाँ

- 20.(1) भुगतान सेवा प्रदाता महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े तृतीय-पक्ष सेवा संबंध से बहिर्गमन के लिए अपनी कार्यनीति का अभिनिर्धारण, दस्तावेजीकरण और व्यावहारिक रूप से संभव सीमा तक परीक्षण करेगा।
- (2) ऐसी कार्यनीति में सेवाओं के नियोजित प्रवास सहित कई परिदृश्य शामिल होंगे, लेकिन इसमें प्रतिकूल घटनाएं भी शामिल होंगी:
- (क) लागू कानूनों, विनियमों या अनुबंध शर्तों का उल्लंघन;
- (ख) प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट;
- (ग) तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के शासन, वित्तीय स्थिति, लचीलेपन या जोखिम प्रबंधन में कमजोरियां जो महत्वपूर्ण सेवाओं की डिलीवरी को उचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं;
- (घ) महत्वपूर्ण सेवाओं में विस्तारित व्यवधान जिन्हें अन्य व्यावसायिक निरंतरता उपायों के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है।

घटनाओं की रिपोर्टिंग

21. भुगतान सेवा प्रदाता के लिए अपेक्षित होगा कि तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं से उन घटनाओं का समयबद्ध तरीके से अभिनिर्धारण करने, उनकी जांच करने, उपचार करने और भुगतान सेवा प्रदाता को सूचित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रियाएं अपेक्षित होंगी जो तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता की सहमत सेवाओं की प्रदायगी करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

तृतीय-पक्ष सेवा संबंधों का रिकॉर्ड

22. भुगतान सेवा प्रदाता अपने सेवा संबंधों के पूर्ण, अद्यतन रिकॉर्ड का अभिरक्षण करेंगे जो विनियम 18 के उप-विनियम 1 के अधीन चिह्नित किए जाते हैं।

अध्याय VI

भुगतान सेवा प्रदाता के कर्तव्य

प्रयोज्य निधियों के संरक्षण संबंधी कर्तव्य:

23. (1) भुगतान सेवा प्रदाता प्रयोज्य निधियों का संरक्षण करेगा, जिसमें अनुसूची VI में निर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (2) भुगतान सेवा प्रदाता हर समय प्रयोज्य निधि को उसके पास विद्यमान किसी भी अन्य प्रकार की निधि से अलग रखेगा।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन रोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, 2022 (एएमएल, सीटीएफ एंड केवाईसी दिशानिदेश) का अनुपालन करने का कर्तव्य

- 24.(1) भुगतान सेवा प्रदाता फिलहाल लागू कतिपय वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित एएमएल, सीटीएफ और केवाईसी दिशानिदेशों और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

- (2) अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंटों का उपयोग करने वाले भुगतान सेवा प्रदाता निम्नांकित करेंगे:
- क) ऐसे एजेंटों की अद्यतन सूची बनाए रखना;
- ख) ऐसे एजेंटों को उनके एएमएल/सीटीएफ कार्यक्रमों में शामिल करना और इन कार्यक्रमों के अनुपालन के लिए उनकी निगरानी करना।
- (3) भुगतान सेवा प्रदाता अपने अधिकृत एजेंटों द्वारा किए गए लेनदेन/कार्यों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा।
- (4) भुगतान सेवा प्रदाता कम से कम दस वर्षों तक किए गए सभी लेनदेन का लॉग बनाएगा। यह डेटा प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा निदेशित किसी अन्य अभिकरण/अभिकरणों को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कानूनों का पालन संबंधी कर्तव्य

25. भुगतान सेवा प्रदाता भारत में लागू सभी कानूनों के साथ-साथ भारत के बाहर किसी भी क्षेत्राधिकार, जहां वह सेवाएं प्रदान करता है या जहां भुगतान सेवा प्रयोक्ता आधारित हैं, के सभी लागू कानूनों का पालन करेगा।

प्राधिकरण संग सहयोग संबंधी कर्तव्य

26. (1) भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण के साथ खुले और सहकारी तरीके से व्यवहार करेगा। भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण को भुगतान सेवा प्रदाता से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण घटना(घटनाओं) के बारे में विधिवत सूचित रखेगा।
- (2) उत्पाद सुविधाओं/प्रक्रियाओं, संरचना या भुगतान सेवाओं के संचालन में परिवर्तन आदि जैसे कोई भी प्रस्तावित बड़े परिवर्तन, पूर्ण विवरण सहित प्राधिकरण को सूचित किए जाएंगे।
- (3) भुगतान सेवा प्रदाता को विलय, समेकन, पुनर्संगठन, व्यवस्था की योजना या अपने शेयरधारकों के साथ समझौता करने या समामेलन या पुनर्निर्माण की किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) प्राधिकरण, इन विनियमों के अधीन अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, भुगतान सेवा प्रदाता और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता की लेखापरीक्षा और जांच कर सकता है या करवा सकता है और यह भुगतान सेवा प्रदाता और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी लेखापरीक्षा या जांच करने में प्राधिकरण का सहयोग करे।

भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के प्रति कर्तव्य

27. (1) भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित ध्यान दिया जाए और उन्हें प्रासंगिक जानकारी स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से सूचित की जाए जिससे उनके गुमराह होने की संभावना कम हो जाए।
- (2) एक भुगतान सेवा प्रदाता इन विनियमों की अनुसूची VII में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे का संरक्षण संबंधी कर्तव्य

28. (1) भुगतान सेवा प्रदाता भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे का संरक्षण करेगा ताकि अनधिकृत एक्सेस और हेराफेरी से बचा जा सके।
- (2) भुगतान सेवा प्रदाता उप-विनियम (1) में उल्लिखित कर्तव्य के अनुपालन हेतु सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताते हुए एक लिखित दस्तावेज तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा।
- (3) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, भुगतान सेवा प्रदाताओं को भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में निदेश जारी कर सकता है।

- (4) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, भुगतान सेवा प्रदाता को उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि संबंधी स्वतंत्र व्यावसायिक द्वारा जारी प्रमाणपत्र (पत्रों) प्रस्तुत करने और उप-विनियमन (3) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन करने का निदेश दे सकता है।

परिवादों का निवारण और विवाद समाधान

- 29.(1) भुगतान सेवा प्रदाता अपने व्यवसाय के स्थायी स्थान या आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भुगतान सेवा प्रयोक्ता, जो भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई एक या अधिक भुगतान सेवाओं का उपयोग करता है, के किसी प्रश्न, शिकायत या परिवाद का समाधान करने के लिए पर्याप्त कर्मचारीवृंद तैनात करेगा और शिकायत या परिवाद प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करेगा।
- (2) भुगतान सेवा उपयोगकर्ताओं को शाखाओं या कार्यालयों आदि के माध्यम से प्रश्न पूछने और शिकायतें फाइल करने के लिए एक या अधिक चैनल - वेब-आधारित या कागज-आधारित शिकायत प्ररूप, आईवीआर, मोबाइल एप्लिकेशन, कॉल सेंटर, एसएमएस सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (3) भुगतान सेवा उपयोगकर्ता और भुगतान सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जिन्हें उप-धारा (1) में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऑनलाइन सुलह और/या ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करके हल किया जाएगा।
- (4) भुगतान सेवा प्रदाता उसे प्राप्त प्रश्नों, शिकायतों और परिवादों और ऐसी शिकायतों और परिवादों के निवारण के संबंध में रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा।

चूक की स्थिति में कार्रवाई

30. यदि भुगतान सेवा प्रदाता इन विनियमों, निदेशों या इसके अधीन बनाए गए आदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उचित प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

अध्याय VII

व्यवसाय का स्थान या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :-

31. (1) भुगतान सेवा प्रदाता का अपना व्यवसाय स्थान और आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा।
- (2) भुगतान सेवा प्रदाता जो आईएफएससी के अलावा व्यवसाय के किसी अन्य स्थान से भुगतान सेवा से संबंधित कुछ कार्यकलाप चलाना चाहता है, उसे प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

अध्याय VIII

विवरणी, दस्तावेज़ और अन्य जानकारी

विवरणी, दस्तावेज या अन्य जानकारी आदि जमा करना।

32. प्रत्येक भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करेगा।

खातों और तुलनपत्र को प्रस्तुत करना

33. प्रत्येक भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण को इसके अंतिम रूप देने की तारीख से तीन (3) माह के भीतर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसमें व्यवसाय के संचालन, खातों की स्थिति आदि पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों या अभ्युक्तियों, यदि कोई हो, और लेखापरीक्षक की टिप्पणियों/अभ्युक्तियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी/निधि प्रवाह विवरण के साथ-साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

बशर्ते कि प्राधिकरण, भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की उक्त अवधि को एक माह से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

बहियों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव

34. प्रत्येक भुगतान सेवा प्रदाता संचालन शुरू होने की तारीख से कम से कम दस (10) वर्षों के लिए अन्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रारूप में खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों की निम्नलिखित बहियों को बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा, अर्थात्: -

- (क) प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में तुलनपत्र की प्रति;
- (ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की प्रति;
- (ग) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति;
- (घ) प्रत्येक तिमाही के लिए निवल मूल्य का विवरण;
- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन रोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देश, 2022 के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज;
- (च) प्रत्येक ग्राहक के खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज और ग्राहकों के किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर प्राधिकार प्ररूप;
- (छ) पूंजी बाजार में इसके कार्यकलापों से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज;
- (ज) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट ऐसी अन्य बहियां, रिकॉर्ड और दस्तावेज।

अनुसूची I**भुगतान सेवाएँ, सीमाएँ और शर्तें**

[विनियम 4(3) और 4(4)]

भाग क**कार्यकलाप जो भुगतान सेवाएँ हैं**

1. भाग ख में निर्दिष्ट कार्यकलापों को छोड़कर, निम्नलिखित कार्यकलाप, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए भुगतान सेवाएँ हैं:
 - क) खाता जारी करने की सेवा (ई-मनी खाता जारी करने की सेवा सहित);
 - ख) ई-मनी जारी करने की सेवा;
 - ग) एस्करो सेवा;
 - घ) सीमा पार धन अंतरण सेवा
 - ङ) व्यापारी अधिग्रहण सेवा।

भाग ख**कार्यकलाप जो भुगतान सेवाएँ नहीं हैं**

2. इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप भुगतान सेवाएँ नहीं हैं -
 - क) भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता की ओर से भुगतान लेनदेन, यदि भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता, जैसा भी मामला हो, की ओर से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद पर सौदेबाजी करने या अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अधिकृत एजेंट द्वारा किया जाता है;
 - ख) निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर भुगतान लेनदेन, प्रत्येक दस्तावेज भुगतानकर्ता द्वारा खर्च करने के लिए धन रखने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है;
 - (i) चेक, रोकड़िया आदेश, आहरण वाउचर, लाभांश वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, प्रेषण रसीद, यात्री चेक या उपहार चेक;
 - (ii) पेपर पोस्टल ऑर्डर;

- ग) भुगतान सेवा प्रदाताओं और निपटान एजेंटों, केंद्रीय समकक्षों, समाशोधन गृहों, केंद्रीय बैंकों या सिस्टम में अन्य प्रतिभागियों के मध्य भुगतान या प्रतिभूति निपटान प्रणाली के भीतर किए गए भुगतान लेनदेन;
- घ) उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा संपन्न लाभांश, आय या अन्य संवितरण, या मोचन या बिक्री सहित प्रतिभूतियों की परिसंपत्ति सर्विसिंग से संबंधित भुगतान लेनदेन;
- ङ) भुगतान सेवा प्रदाताओं, या उनके एजेंटों या शाखा कार्यालयों के बीच उनके स्वयं के खाते के लिए किए गए भुगतान लेनदेन;
- च) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बीच या उसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियों के बीच उसी समूह से संबंधित कंपनी के अलावा किसी अन्य भुगतान सेवा प्रदाता के मध्यस्थ हस्तक्षेप के बिना भुगतान लेनदेन और संबंधित सेवाएं;;
- छ) जहां सेवा एक व्यवसाय के रूप में की जाती है, वहां मुद्रा, जिसमें मुद्रा का संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है, का परिवहन;
- ज) किसी भी समय हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि को धारित किए बिना सेवाओं के भुगतान के प्रावधान का समर्थन करने वाले तकनीकी सेवा प्रदाताओं द्वारा एक एंटीटी होने के नाते प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनमें ये सेवाएँ भी शामिल हैं:
- (i) डेटा का प्रसंस्करण और भंडारण;
 - (ii) विश्वास और गोपनीयता सुरक्षा सेवाएँ;
 - (iii) डेटा और इकाई प्रमाणीकरण;
 - (iv) सूचना प्रौद्योगिकी;
 - (v) संचार नेटवर्क प्रावधान; और
 - (vi) भुगतान सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले टर्मिनलों और उपस्करों का प्रावधान और रखरखाव;
- झ) विशिष्ट भुगतान लिखतों पर आधारित सेवाएँ जिनका उपयोग केवल सीमित तरीके से किया जा सकता है और जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करती हैं:
- (i) धारक को भुगतान लिखत जारीकर्ता के परिसर में ही सामान या सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति देना;
 - (ii) जारीकर्ता द्वारा जारी किए जाते हैं और धारक को केवल सेवा प्रदाताओं के सीमित नेटवर्क के भीतर सामान या सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जिनका प्रयोक्ता के साथ प्रत्यक्ष वाणिज्यिक समझौता होता है;
 - (iii) इसका उपयोग केवल बहुत सीमित श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है;

भाग ग

महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में नमोनिदेशन के लिए सीमाएँ और शर्तें

3. नियमित भुगतान सेवा प्रदाता को महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में नामित करने के लिए निम्नलिखित सीमाएँ और शर्तें पूरी करनी होंगी -
- क) नियमित भुगतान सेवा प्रदाता इस अनुसूची के भाग क में उल्लिखित एक या अधिक भुगतान सेवाएँ (ई-मनी खाता जारी करने की सेवा के अलावा) प्रदान करने का व्यवसाय करता है और
- (i) एक कैलेंडर वर्ष में, स्वीकृत, संसाधित, निष्पादित सभी भुगतान लेनदेन के कुल मूल्य के मासिक औसत से अधिक है -

- क) इस अनुसूची के भाग क में उल्लिखित भुगतान सेवाओं (ई-मनी खाता जारी करने की सेवा के अलावा) में से किसी एक के लिए \$2 मिलियन (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में इसके बराबर राशि);
- ख) इस अनुसूची के भाग क में उल्लिखित दो या अधिक भुगतान सेवाओं (ई-मनी खाता जारी करने की सेवा के अलावा) के लिए \$4 मिलियन (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में इसके बराबर राशि);

ख) यदि नियमित भुगतान सेवा प्रदाता ई-मनी खाता जारी करने की सेवा प्रदान करने का व्यवसाय करने या चलाने का इरादा रखता है और

- (i) नियमित भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए किसी भी भुगतान खाते में संग्रहीत सभी ई-धन का एक कैलेंडर वर्ष में औसत दैनिक मूल्य \$3 मिलियन (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में इसके बराबर) से अधिक है;

ग) यदि आवेदक या नियमित भुगतान सेवा प्रदाता ई-मनी जारी करने की सेवा प्रदान करने का व्यवसाय करता है

- (i) नियमित भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए जाने वाले या जारी किए गए सभी ई-धन के एक दिन में कुल मूल्य का एक कैलेंडर वर्ष में औसत दैनिक मूल्य \$3 मिलियन (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में इसके बराबर) से अधिक है ;

अनुसूची II

[विनियम 7(1) देखें]

उपयुक्त और उचित आवश्यकताएँ

1. यह अनुसूची सभी प्रासंगिक व्यक्तियों के लिए लागू उपयुक्त और उचित मानदंड निर्धारित करती है। आईएफएससीए आशा करता है कि प्रासंगिक व्यक्ति सक्षम, ईमानदार, सत्यनिष्ठा वाला और अच्छी वित्तीय स्थिति वाला हो।
2. इस अनुसूची में दिए गए मापदंड संपूर्ण या किसी कानूनी उपबंध का विकल्प नहीं हैं और उन्हें किसी भी लागू कानून और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी लिखित निदेश, अधिसूचना, मानकों और अतिरिक्त दिशानिदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
3. भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करेगा कि सभी संबंधित व्यक्ति 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा करें।
4. भुगतान सेवा प्रदाता, सभी प्रासंगिक व्यक्तियों की इस अनुसूची के लिए, उनकी नियुक्ति के समय और उसके बाद उचित नियमित आवृत्ति पर, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रारूप में 'उपयुक्त और उचित' मूल्यांकन करेगा।
5. प्रासंगिक व्यक्ति को उपयुक्त और उचित व्यक्ति माना जाएगा यदि 3 के अधीन किए गए मूल्यांकन या उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी के आधार पर, भुगतान सेवा प्रदाता संतुष्ट होगा -

(क) ऐसे व्यक्ति के पास निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का रिकॉर्ड है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- i. वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- ii. अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
- iii. ईमानदारी।

(ख) ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक भी अयोग्यता नहीं हुई है -

- i. उस व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है;
- ii. व्यक्ति के विरुद्ध वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा वसूली कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;

- iii. व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार के लिए परिसमापन का आदेश पारित किया गया है;
- iv. व्यक्ति को अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया है;
- v. किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने, प्रदान करने या व्यवहार करने से रोकने और प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित किए जाने संबंधी आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- vi. प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश, पारित किया गया हो, और आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो;
- vii. व्यक्ति को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मष्तिष्क का पाया गया है और यह निष्कर्ष प्रभावी है;
- viii. व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है या उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- ix. व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है; या
- x. प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

अनुसूची II का अनुबंध

क्रम संख्या	विवरण
1.	क्या किसी पदाधिकारी या पदाधिकारी से जुड़ी किसी एंटीटी को प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण / प्राधिकार / लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया है या इस आवेदन से पहले किसी भी समय उनका रजिस्ट्रीकरण / प्राधिकार / लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। (यदि हां, तो विवरण प्रदान करें। यदि नहीं, तो इस आशय की घोषणा संलग्न करें)। (इस खंड के लिए, किसी व्यक्ति को किसी एंटीटी से 'संबद्ध' कहा जाता है यदि वह एंटीटी का पदाधिकारी है/था)
2.	क्या कोई पदाधिकारी या कोई कंपनी/एंटीटी जिसमें पदाधिकारी जुड़ा है/था, किसी एंटीटी या बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में व्यतिक्रम है या अतीत में व्यतिक्रम कर चुका है? (यदि हां, तो कृपया व्यतिक्रम और ऋण देने वाली संस्था के नाम की जानकारी प्रदान करें)
3.	क्या किसी अधिकार क्षेत्र में जहां आवेदक एंटीटी या आवेदक एंटीटी की समूह कंपनियां संचालित की जा रही हैं, किसी कानून के अधीन किसी भी पदाधिकारी को प्रवर्तक/निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।
4	कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों के नाम, जिनमें से किसी भी पदाधिकारी की पर्याप्त रुचि है।
5	क्या आवेदक/समूह या कोई पदाधिकारी किसी कानून प्रवर्तन/नियामक अभिकरणों द्वारा किसी जांच/अनुशासनात्मक कार्रवाई/कानूनी या नियामक उल्लंघन/आपराधिक मामले से गुजर रहा है/शामिल है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

6.	<p>क्या किसी शोधन अक्षमता/समाधान प्राधिकरण द्वारा किसी कंपनी/एंटीटी के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है जिसके साथ कोई भी पदाधिकारी जुड़ा हुआ है/था?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
7.	<p>क्या किसी पदाधिकारी को न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के विरुद्ध किसी अपराध से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
8.	<p>क्या वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
9.	<p>क्या कदाचार के लिए किसी पदाधिकारी के विरुद्ध परिसमापन का आदेश पारित किया गया है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
10.	<p>क्या किसी भी पदाधिकारी को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने या व्यवहार करने से रोकने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित किए जाने का आदेश किसी नियामक प्राधिकरण/न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है और निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि में समाप्ति का आदेश कालातीत नहीं हुआ है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
11.	<p>क्या प्रतिभूति बाजार पर असर डालने वाले किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई अन्य आदेश किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है, और आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>
12.	<p>क्या कोई पदाधिकारी</p> <p>i) दिवालिया घोषित कर दिया गया है और सेवामुक्त नहीं किया गया है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>ii) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और निष्कर्ष प्रभावी है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>iii) क्या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं या उन्हें जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>iv) क्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है?</p> <p>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।</p>

अनुसूची III

[विनियम 13(1) देखें]

प्राधिकार का अभ्यर्पण

क. भुगतान सेवा प्रदाता के लिए जिसने परिचालन शुरू कर दिया है

1. भुगतान सेवा प्रदाता जिसने परिचालन शुरू कर दिया है और वह जारी किए गए प्राधिकार को अभ्यर्पित करना चाहता है, उसे प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे:

- क. इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखित में अनुरोध, साथ ही इसके निदेशक मंडल के प्रस्ताव की एक प्रति, जिसमें इस तरह के प्राधिकार को अभ्यर्पित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, साथ ही इस तरह के अभ्यर्पण के पीछे का कारण और मंशा भी बतानी होगी।
 - ख. 1(क) में समाधान की तारीख पर ग्राहक खातों की संख्या और ऐसे खातों में रखी गई राशि के बारे में इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र। इस तरह के विवरण में उसके एस्करो खाते के विवरण, बकाया एस्करो राशि और देयताओं का नाम भी दर्शाया जाना चाहिए।
 - ग. भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया और भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं, व्यापारियों या किसी अन्य पक्ष की देयताओं को समाप्त करने/चुकाने की समय-सीमा को रेखांकित करने वाला नोट।
 - घ. इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक उपक्रम, और स्पष्ट रूप से यह बताता है कि प्राधिकरण के आत्मअभ्यर्पण और व्यवसाय को बंद करने की प्रक्रिया के दौरान उस पर कोई नई देनदारी नहीं आएगी।
2. प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के अभ्यर्पण के अनुरोध पर अनुरोध के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
 3. प्राधिकरण ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और भुगतान सेवा प्रदाता को अपना निर्णय सूचित करेगा।
 4. प्राधिकरण भुगतान सेवा प्रदाता को कुछ कार्रवाई शुरू करने की सलाह दे सकता है, जिनमें शामिल हैं:
 - (क) तीन अलग-अलग मौकों पर प्रिंट/विजुअल मीडिया में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करें, जिसमें भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं/व्यापारियों को अपने भुगतान सेवा प्रदाता संचालन को छोड़ने के इरादे के बारे में सूचित किया जाए। ऐसी सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दर्शाया जाएगा:
 - I. भुगतान सेवा प्रयोक्ता या तो अपने ई-वॉलेट में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या भुगतान सेवा प्रदाता से अनुरोध करके एक निर्धारित अवधि के भीतर बैंक खाते में क्रेडिट करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
 - II. मोचन के लिए ऐसे अनुरोध भेजने का तरीका।
 - III. भुगतान सेवा प्रदाता के एक नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी, जिसे ग्राहक द्वारा ऐसे अनुरोध भेजे जाने हैं।
 - IV. वह समय अवधि जिसके भीतर कंपनी ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने के बाद शेष राशि भुना लेगी।
 - ख. भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं/व्यापारियों की देयताओं को समाप्त करने की प्रगति पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5. भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं/व्यापारियों के दायित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने पर भुगतान सेवा प्रदाता अपने सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी 'कोई दायित्व नहीं' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
 6. भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण को रद्दीकरण के लिए प्राधिकार का मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

ख. ऐसे भुगतान सेवा प्रदाता के लिए जिसने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है

1. भुगतान सेवा प्रदाता जिसने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है और वह उसे जारी किए गए प्राधिकार को अभ्यर्पित करना चाहता है, उसे प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
 - क. इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखित में अनुरोध, साथ ही इसके निदेशक मंडल के प्रस्ताव की प्रति, जिसमें इस तरह के प्राधिकार को अभ्यर्पित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, साथ ही इस तरह के अभ्यर्पण के पीछे का कारण और मंशा भी बतानी होगी।
 - ख. चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस आशय का प्रमाणपत्र कि भुगतान सेवा प्रदाता ने वह परिचालन शुरू नहीं किया है जिसके लिए उसे प्राधिकरण से प्राधिकार प्राप्त हुआ था।
 - ग. भुगतान सेवा प्रदाता की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रति।
2. प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार के अभ्यर्पण के अनुरोध पर अनुरोध के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
3. प्राधिकरण ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और अपना निर्णय से भुगतान सेवा प्रदाता को अवगत कराएगा।
4. भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण को रद्दीकरण के लिए मूल प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची IV

[विनियम 4(1) देखें]

व्यक्ति जिन्हें प्राधिकार से छूट प्राप्त है

1. आईएफएससी बैंकिंग कंपनी (आईबीसी) या आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (संशोधित) (1949 का 10) के अधीन लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त है।
2. आईएफएससी में क्रेडिट कार्ड जारी करने का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति।
3. कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अनुसूची V

[विनियम 6(1) देखें]

न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाएँ

1. नियमित भुगतान सेवा प्रदाता के पास परिचालन शुरू होने की तारीख पर न्यूनतम 100,000 अमेरिकी डॉलर (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में समकक्ष) का निवल मूल्य होगा। नियमित भुगतान सेवा प्रदाता परिचालन शुरू होने के वर्ष से तीसरे वित्तीय वर्ष (अर्थात्, 31 मार्च) के अंत तक न्यूनतम 200,000 अमेरिकी डॉलर (या निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में समतुल्य) का निवल मूल्य प्राप्त करेगा।
2. महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाने की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर 250,000 अमेरिकी डॉलर (या एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में समतुल्य) की न्यूनतम निवल मूल्य प्राप्त करना होगा। महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता को महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में नमोनिदेशित होने के वर्ष से तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत तक (यानी, 31 मार्च) तक 500,000 अमेरिकी डॉलर (या निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में समकक्ष) का न्यूनतम निवल मूल्य प्राप्त करना होगा।
3. निवल मूल्य में प्रदत्त इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त रिजर्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और परिसंपत्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजी रिजर्व शामिल होंगे, लेकिन संचित हानि शेष, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, के लिए समायोजित संपत्ति पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए रिजर्व में शामिल नहीं होंगे। अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर या तो गैर-संचयी या संचयी हो सकते हैं, और उन्हें अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होना चाहिए और शेयरधारक समझौतों से विशेष रूप से किसी भी समय इस प्राथमिकता पूंजी की निकासी पर रोक लगनी चाहिए।

अनुसूची VI

भुगतान सेवा प्रयोक्ता से प्राप्त धन की सुरक्षा

[विनियम 23(1) देखें]

- (1) खंड (2) में दिए गए निदेश प्रत्येक नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता, जो निम्नलिखित भुगतान सेवाओं में से कोई भी प्रदान करने का व्यवसाय करते हैं, पर लागू होंगे:
 - (क) सीमा पार धन अंतरण सेवा;
 - (ख) व्यापारी अधिग्रहण सेवा;
 - (ग) कोई अन्य भुगतान सेवा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।
- (2) उपर्युक्त नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी भुगतान सेवा प्रयोक्ता से या उसके खाते में प्राप्त प्रयोज्य धनराशि अगले कारोबारी दिन से पहले या लागू निधियों का यथा-निर्दिष्ट भाग, निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से संरक्षित कर लिया जाएगा:
 - (क) संरक्षण संस्थान से इस बाबत वचनपत्र द्वारा कि वह प्रयोज्य निधि के लिए ग्राहक के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा;
 - (ख) प्रयोज्य निधि की राशि के लिए संरक्षण संस्थान की गारंटी द्वारा;
 - (ग) किसी संरक्षण संस्था के पास रखे गए ट्रस्ट खाते में संबंधित धन जमा करके;
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसे अन्य तरीके द्वारा।
- (3) नीचे खंड (4) में दिए गए निदेश प्रत्येक नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता पर लागू होंगे जो निम्नलिखित भुगतान सेवाओं में से कोई एक प्रदान करने का व्यवसाय करते हैं:
 - (क) ई-मनी जारी करने की सेवा;
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य भुगतान सेवा।
- (4) उपर्युक्त खंड (3) में उल्लिखित नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ग्राहक से या उसके खाते में प्रयोज्य निधि प्राप्त होने के समय से, प्रासंगिक निधि का पूर्ण या यथा-निर्दिष्ट हिस्से का संरक्षण निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से किया जाएगा:
 - (क) संरक्षण संस्थान से, प्रासंगिक निधि के लिए ग्राहक के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होने संबंधी वचनपत्र द्वारा;
 - (ख) प्रासंगिक निधि की राशि के लिए संरक्षण संस्थान की गारंटी द्वारा;
 - (ग) किसी संरक्षण संस्थान के पास रखे गए ट्रस्ट खाते में संबंधित धन जमा करके;
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसे अन्य तरीके से।
- (5) नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता प्रयोज्य निधि को आईबीयू के एस्करो खाते में रखेगा। अनुसूची I के भाग क में सूचीबद्ध प्रत्येक भुगतान सेवा से संबंधित प्रयोज्य निधि रखने के लिए अलग एस्करो खाते खोले जाएंगे।
- (6) नियमित भुगतान सेवा प्रदाता और ई-मनी जारी करने की सेवा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि दिन के अंत में संबंधित एस्करो खाते में शेष राशि, भुगतान सेवा प्रयोक्ताओं को जारी की गई ई-मनी और देय भुगतान के मूल्य से कम नहीं होगी।
- (7) ई-मनी वॉलेट जारी करने, लोड करने/पुनः लोड करने और विफल/विवादित/लौटाए गए/रद्द किए गए लेनदेन के लिए प्राप्त रिफंड के लिए प्राप्त राशि के लिए एस्करो खाते में जमा करने की अनुमति दी जाएगी;

- (8) भुगतान सेवा प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए व्यापारियों/सेवा प्रदाताओं को भुगतान, भुगतान सेवा प्रयोक्ता के निधि अंतरण निदेशों को संसाधित करने के लिए आईबीयू या आईबीसी को भुगतान, लागू करों के भुगतान, और किसी भी अन्य भुगतान को लोड/पुनः लोड करने के परिणामस्वरूप लेनदेन के रद्द होने पर रिफंड के लिए एस्क्रो खातों में डेबिट करने, भुगतान सेवा प्रयोक्ता के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान सेवा प्रदाता को देय शेष राशि की अनुमति दी जाएगी।
- (9) भुगतान सेवा प्रदाता और एस्क्रो खाता बनाए रखने वाले आईबीयू के बीच समझौते में एक खंड शामिल होगा जो बैंक को इन नियमों में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए एस्करो खाते में धन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- (10) ई-मनी जारी करने की सेवा प्रदान करने वाला भुगतान सेवा प्रदाता और महत्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता निम्नांकित नहीं करेगा:
- क). प्रीमियम या छूट पर ई-मनी जारी करना, अर्थात्, ई-मनी जारी करना जिसका मौद्रिक मूल्य प्राप्त धन से भिन्न हो;
- ख). किसी व्यक्ति को ऋण या वित्तपोषण प्रदान करने के लिए जारी किए गए ई-मनी के बदले में एकत्र किए गए धन का उपयोग करना
- ग). ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को क्रेडिट प्रदान करना, या ई-मनी बैलेंस पर ब्याज, लाभ या किसी अन्य प्रकार के विवरणी का भुगतान करना, जिससे ई-मनी के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो जाएगी; और
- घ). संदिग्ध या अवैध कार्यकलापों के संचालित के लिए ई-मनी योजना या प्लेटफॉर्म से जुड़ना, लिंक करना या उसका उपयोग करना।
- ङ). ई-वैलेट में जमा ई-मनी को नकदी के रूप में आहरित करनेकी अनुमति देना।

अनुसूची VII

अनिवार्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

[विनियम 27(2) देखें]

- भुगतान सेवा प्रदाता को नीचे खंड 2 में निर्दिष्ट तरीके से सभी ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा:

“<भुगतान सेवा प्रदाता का नाम> भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अधिकृत है। कृपया ध्यान दें कि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि “<भुगतान सेवा प्रदाता का नाम> का व्यवसाय विफल हो जाता है” तो आप “<भुगतान सेवा प्रदाता का नाम>” को भुगतान की गई सभी धनराशि वापस पाने में सक्षम होंगे।”
- ऊपर खंड 1 में निर्दिष्ट वक्तव्य को:
 - भुगतान सेवा प्रदाता की ओर से सार्वजनिक रूप से जारी की गई उपलब्ध सामग्री में कम से कम एक बार प्रकाशित किया जाना चाहिए;
 - भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई भुगतान सेवाओं का उपयोग करने वाले संभावित ग्राहक से पहले संभावित ग्राहक को प्रदान किया जाना चाहिए;
 - जहां ऐसे ग्राहक को (ख) में निर्धारित तरीके से वक्तव्य प्रदान नहीं किया गया है, उसे कम से कम एक बार लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए;;
 - बाधित या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, या अन्य असंबंधित लेख में छुपा हुआ नहीं होना चाहिए;
 - उचित आकार और टाइपफेस का होना चाहिए।
- जहां भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा अपने विनियमन के दायरे के संबंध में किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री में अभ्यावेदन करता है, तो भुगतान सेवा प्रदाता को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यावेदन सटीक है और गलत या भ्रामक नहीं है।

4. भुगतान सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि डिलीवरी चैनल पर ध्यान दिए बिना ग्राहकों या संभावित ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सामग्री स्पष्ट, पूर्ण, सटीक, समझने योग्य हो और भ्रामक न हो।
5. भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा विकसित कोई भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री में उसके वितरण चैनल पर ध्यान दिए बिना, निम्नांकित जानकारी शामिल होगी:
 - क. भुगतान सेवा प्रदाता की पहचान और संपर्क जानकारी;
 - ख. इस आशय का वक्तव्य कि भुगतान सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा अधिकृत है;
 - ग. भुगतान सेवा से जुड़े मुख्य नियमों और शर्तों का सारांश;
 - घ. पदोन्नति में भाग लेने के लिए योग्यता मानदंड, और पदोन्नति की अवधि; और
 - ड. भुगतान सेवा प्रदाता के विवाद निवारण तंत्र की संपर्क जानकारी
6. उपभोक्ता द्वारा लेनदेन को स्वीकृत करने से पहले भुगतान सेवा प्रदाता लेनदेन के विवरण का सारांश प्रदान करेगा। विवरण के सारांश में कम से कम निम्नांकित शामिल होना चाहिए:
 - क. वह जानकारी जो लेनदेन के लाभार्थी की पहचान करती है जैसे नाम और दूरभाष संख्या;
 - ख. लेन-देन की राशि;
 - ग. लेनदेन के परिणामस्वरूप शुल्क और प्रभार;
 - घ. लेन-देन के निष्पादन के लिए लेन-देन की अंतिमता और अपरिवर्तनीयता सहित प्रासंगिक समय सीमा और उस समय बिंदु को इंगित करने वाला सावधानी वक्तव्य जहां से समय सीमा की गणना की जाएगी;
 - ड. जहां लागू हो, प्रकाशित की गई औसत अंतरबैंक विनिमय दर।
7. भुगतान सेवा प्रयोक्ता द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए भुगतान सेवा प्रदाता, भुगतान सेवा प्रयोक्ता को निःशुल्क पुष्टि जारी करेगा। पुष्टि में कम से कम निम्नांकित बिंदु शामिल होंगे:
 - क. लाभार्थी का नाम (यदि लागू हो);
 - ख. लेनदेन राशि;
 - ग. लेन-देन पूरा होने की तारीख;
 - घ. लाभार्थी का खाता या वॉलेट नंबर (यदि लागू हो);
 - ड. लेन-देन का मूल स्रोत (यदि लागू हो);
 - च. भुगतान सेवा प्रदाता के विवाद समाधान तंत्र की संपर्क जानकारी।

के. राजारमन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./720/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th January, 2024

International Financial Services Centres Authority (Payment Services) Regulations, 2024

IFSCA/GN/2024/001.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 read with sub-section 1 of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -*

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payment Services) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly -

- (a) “account issuance service” means any of the following services:
- i. the service of issuing a payment account to a payment service user;
 - ii. the service required for operating a payment account, and includes:
 - a) the service (other than a cross-border money transfer service) that enables money to be placed in a payment account; or
 - b) the service (other than a cross-border money transfer service) that enables money to be withdrawn from a payment account;
- (b) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (c) “agent” means any person who acts on behalf of a payment service provider in relation to the payment services provided by him;
- (d) “applicable funds” means-
- i. funds received by a payment service provider from, or for the benefit of, a payment service user for the execution of a payment transaction; and
 - ii. funds received by a payment service provider from another payment service provider for the execution of a payment transaction on behalf of a payment service user;
- (e) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (f) “certificate of authorisation” means the certificate containing the details of the authorisation granted by the Authority to a payment service provider under regulation 10;
- (g) “company” means a company as defined in sub-section 20 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (h) “control” means control as defined in sub-section 27 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)
- (i) “cross-border money transfer service” means either of the following services:
- i. accepting money from a person in IFSC, whether as principal or agent, for the purpose of transmitting, or arranging for the transmission of, the money to any person outside IFSC;
 - ii. receiving money from a person outside IFSC or arranging for the receipt of money from a person outside IFSC whether as principal or agent, for the purpose of transmitting or arranging for the transmission of the money to any person in IFSC or any person outside IFSC.;
- (j) “e-money” means any electronically stored monetary value that —
- i. is denominated in any specified foreign currency;
 - ii. has been paid for in advance to enable the making of payment transactions through the use of a payment account;
 - iii. is accepted by a person other than its issuer; and
 - iv. represents a claim on its issuer.
- Explanation:* The term “e-money” does not include deposit from any person.
- (k) “e-money issuance service” means the service of issuing e-money to a payment service user for the purpose of allowing a payment service user to make payment transactions;
- (l) “escrow service” means the service provided by a payment service provider, under an agreement, whereby money is held by such payment service provider in an escrow account with an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’) on behalf of two parties that are in the process of completing a transaction;

- (m) ‘group entities’ means an arrangement involving two or more entities related to each other through any of the following relationships: (i) subsidiary – parent (as defined in Ind-AS 110/Accounting Standard 21); (ii) joint venture (as defined in Ind-AS 28/Accounting Standard 27); (iii) associate (as defined in Ind-AS 28/Accounting Standard 23); (iv) common brand name or (v) investment in equity shares of 20 per cent and above;
- (n) “holding company”, means a company as defined in sub-section 46 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (o) “IFSC” or “International Financial Services Centre” shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (p) “key managerial personnel” shall have the meaning assigned to it in sub-section 50 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and any other person whom the payment service provider may declare as key managerial personnel;
- (q) “merchant” means and includes all persons, in or outside IFSC, who accept payments for goods and services provided by them, through electronic/online payment modes;
- (r) “merchant acquisition service” means any service of accepting and processing a payment transaction for a merchant under an agreement between the payment service provider and the merchant, which results in a transfer of money to the merchant pursuant to the payment transaction, regardless of whether the payment service provider comes into possession of any money in respect of the payment transaction;
- (s) “money” includes e-money but excludes virtual digital asset and any excluded digital representation of value as may be specified by the Authority.
- (t) “nodal bank” means an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’) identified by a payment service provider for maintenance of security deposits, if so specified by the Authority, or for holding of funds in escrow account or for any other purposes.
- (u) “nth-party service provider” means a service provider that is part of a third- party service provider’s supply chain and supports the ultimate delivery of services to one or more payment service providers;
- (v) “payment account” means an account or facility (either in physical or electronic form) held in the name of one or more payment service users and is used for initiation of a payment order or execution of payment transactions or both;
- Explanation :* The term “payment account” includes bank account, debit card, credit card and charge card.
- (w) “payment instrument” means any written direction, personalised device or set of procedures through which a payment service user initiates a payment order;
- (x) “payment order” means any instruction by a payment service user to the payment service provider requesting the execution of a payment transaction;
- (y) “payment services” means any of the activities that is specified in Part A of Schedule I of these regulations but does not include activities specified in Part B of Schedule I of these regulations;
- (z) “payment service provider” means a company authorised by the Authority, under these regulations, to provide one or more of the Payment Services;
- (aa) “payment service user” means any person, in IFSC or outside IFSC, that makes use of a Payment Service provided by a Payment Service Provider in the capacity of a payer or a payee, or both;
- (ab) “payment system” shall have the meaning assigned to it in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
- (ac) “payment transaction” means the act of placing, transfer or withdrawal of money, whether for the purpose of paying for goods or services or for any other purpose, with or without any underlying obligations between the payer and payee;
- (ad) “regular payment service provider” means a Payment Service Provider, authorised under regulation 10 of these regulations, other than significant payment service provider;
- (ae) “safeguarding institution” means an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’), as defined in clause (ec) and (eb), respectively, of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres (Banking) Regulations, 2020.

- (af) “significant payment service provider” means any Payment Service Provider, who is designated as such under sub-regulation 4 of regulation 4 of these regulations;
- (ag) “specified foreign currency” means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or any other regulation issued by the Authority;
- (ah) “subsidiary” means a company as defined in sub-section 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (ai) “third-party service provider” means any person that provides services to one or more Payment Service Provider either directly or indirectly as part of the supply chain of another service provider;
- (aj) “third-party service relationship” means a formal arrangement for the provision of one or more services, or parts thereof, in the form of activities, functions, processes and tasks, to a Payment Service Provider by a third party including:
- i) arrangements for the provision of services to a Payment Service Provider by an intra-group service provider;
 - ii) services supporting transactions between a Payment Service Provider with their employees, customers or counterparties
- (ak) “virtual digital asset” shall have the meaning assigned to it in sub-section 47A of section 2 of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961);

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Chapter II

Authorisation to Payment Service Providers

Requirement of authorisation for commencing or carrying on Payment Services

3. Any person seeking to provide Payment Services in or from IFSC shall require certificate of authorisation under these regulations.

Application for authorisation for providing Payment Services

4. (1) Any person desirous of providing Payment Services in or from IFSC (hereinafter referred to as “the Applicant”) shall submit an application to the Authority, for grant of authorisation as a Payment Service Provider, in the format and in the manner as may be specified by the Authority;

Provided that the persons specified in Schedule IV of these regulations shall be exempted from the requirement of obtaining authorisation under these regulations.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as may be specified by the Authority.

(3) A person authorised as a Payment Service Provider may provide one or more of Payment Services, as specified in Part A of the Schedule I to these regulations.

(4) Notwithstanding sub-regulation (3), a person shall be designated as a Significant Payment Service Provider, if in addition to satisfying the condition of sub-regulation (3), it satisfies the conditions in Part C of Schedule I to these regulations.

Legal form

5. An Applicant making an application for authorisation under regulation 4 shall be required to be incorporated as a Company with its registered office in IFSC.

Minimum Net worth requirement

6. (1) A Payment Service Provider shall, *inter-alia*, comply with the minimum net worth requirements, as specified in Schedule V of these regulations, on an ongoing basis.

(2) The minimum net worth requirement of a Payment Service Provider shall be reviewed by the Authority from time to time to ensure their continued effectiveness and relevance and the Authority may also make adjustments to the minimum net worth requirements as needed to address emerging risks and changes in the financial landscape in which the Payment Service Provider is operating.

(3) Requirement of additional net worth, if any, as a result of the review undertaken under sub-regulation (2), shall be satisfied by a Payment Service Provider, within 180 days from the date of communication by the Authority about the additional net worth requirement.

(4) The Authority may establish a framework for prompt corrective action in case the net worth of a Payment Service Provider falls below the requirements specified in sub-regulation (1) and (2) above.

(5) The Authority may require a Payment Service Provider to undertake stress tests on their net worth to assess their ability to withstand adverse economic scenarios.

Fit and Proper requirement

7. (1) An Applicant or a Payment Service Provider shall ensure that its directors, Key Managerial Personnel and persons exercising control over it (hereinafter collectively referred to as “Relevant Persons”) satisfy the “fit and proper requirements” (‘FPR’), specified in Schedule II of these regulations.

(2) The Authority may undertake an evaluation of any Relevant Person(s) under the FPR during the time of processing the request for authorisation as a Payment Service Provider or any time thereafter.

(3) In case of any variance in the outcome of the evaluation under the FPR undertaken by an Applicant or a Payment Service Provider and that undertaken by the Authority, the outcome of the evaluation undertaken by the Authority shall prevail.

Authorisation requirements

8. While evaluating an application under sub-regulation (1) of regulation 4, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant for grant of authorisation, including, whether:

- a. Relevant persons of the Applicant possess adequate experience, including an existing authorisation to provide similar services in any other jurisdiction, in the activities that it seeks to provide as a Payment Service Provider;
- b. the applicant possesses the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities;
- c. the Applicant satisfies the net worth requirement, as specified in these regulations;
- d. the financial soundness of the Applicant;
- e. the Applicant and Relevant Persons satisfy the “fit and proper” requirements;
- f. the Applicant or its Group Entities have in the past been refused authorisation by the Authority and if so, the ground for such refusal;
- g. the Applicant or the Relevant Persons are not subject to any proceeding for breach of law by the Authority; and
- h. the interests of Payment Services Users, including the terms and conditions governing their relationship with a Payment Service Provider shall be adequately protected if such authorisation is granted.

Issuance of in-principle approval

9. (1) After considering an application for authorisation, if the Authority is satisfied that the said application, *prima facie*, satisfies the conditions for granting authorisation, the Authority may issue an “in-principle approval” letter to the Applicant and shall require the Applicant to satisfy such conditions as may be specified by the Authority in the “in-principle approval” letter before grant of authorisation.

(2) Grant of authorisation to an Applicant who has been issued “in-principle approval” shall be at the sole discretion of the Authority and the issue of “in-principle approval” by the Authority shall not automatically entitle the Applicant to be granted an authorisation under regulation 10.

(3) The Applicant shall intimate to the Authority about any change of ownership or control of the Applicant during the period when an “in-principle approval” is in force.

(4) The Authority, after receipt of intimation under sub-regulation (3) or when it otherwise becomes aware of any change of ownership or control of the Applicant to whom an “in-principle approval” has been issued, shall undertake a review of its decision to grant “in-principle approval” to the Applicant.

(5) The outcome of the review undertaken at sub-regulation (4) shall be communicated to the Applicant.

(6) If as a result of the review under sub-regulation (4), the Authority decides to revoke the “in-principle approval” granted to the Applicant, the Authority shall provide a reasonable opportunity of hearing to the Applicant before taking a final decision in the matter.

Grant of authorisation

10. (1) The Authority may, on being satisfied that the Applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a Payment Service Provider, grant a Certificate of Authorisation to the Applicant subject to such conditions as the Authority may deem fit.

(2) The Certificate of Authorisation granted under sub-regulation (1) shall be valid unless revoked by the Authority or surrendered by the Payment Service Provider.

(3) Every application for authorisation shall be processed by the Authority as soon as possible and an endeavour shall be made to dispose of such application within six months from the date of filing such application.

(4) The Authority may, if it so desires, either at the time of grant of authorisation or at any other time thereafter, require a Payment Service Provider to maintain security deposit of such amount and in such form as may be specified by the Authority.

(5) A Payment Service Provider shall identify an IFSC Banking Unit or an IFSC Banking Company as its Nodal Bank and intimate the same to the Authority along with a concurrence of the said bank to act as the “Nodal Bank” as part of the requirement under sub-regulation (1) of regulation 10.

(6) The Payment Service Provider shall, at any time after the grant of authorisation under sub-regulation (1), intimate to the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished.

(7) The Authority may modify one or more conditions for commencing or carrying on Payment Services under these regulations.

Refusal of Authorisation: -

11. (1) If the Authority is of the opinion that the authorisation cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the Applicant advising it to rectify those within thirty days from the date of communication.

(2) If the Applicant fails to rectify such deficiencies within the specified time, the Authority shall refuse to grant authorisation and communicate the same to the Applicant.

Provided that no such refusal shall be made without giving the Applicant a reasonable opportunity of being heard.

(3) The application filed under sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations, may be withdrawn by the Applicant at any time before the grant of authorisation.

(4) The Applicant whose application is refused under sub-regulation (2) above or withdrawn under sub-regulation (3) above, may submit a fresh application for authorisation after a period of six months from the date of communication of refusal of the application by the Authority under sub-regulation (2) or the date of withdrawal of the application under sub-regulation (3).

Revocation of authorisation

12. (1) If the Authority is satisfied that a Payment Service Provider has failed to comply with any of the conditions of the authorisation, provision/s of these regulations, orders or directions of the Authority, or that the activity of the Payment Service Provider is being carried on in a manner prejudicial to the interests of the Payment Service Users, it may revoke the authorisation granted to such Payment Service Provider

(2) The order for revocation of the authorisation shall be issued after giving a reasonable opportunity of hearing to the concerned Payment Service Provider.

Surrender of Authorisation

13. (1) A Payment Service Provider may file an application with the Authority, in compliance with the conditions and in the format provided in Schedule III, for surrender of the authorisation granted to it.

(2) After consideration of the application made under sub-regulation (1), and on being satisfied that the surrender of authorisation is unlikely to cause any material adverse effect to the financial ecosystem of the IFSC or the interests of the Payment Service Users, the Authority may permit surrender of such authorisation subject to such conditions as it deems fit.

(3) The Authority may, by an order in writing, specify the date from which the authorisation shall cease to have effect.

Appropriation of security deposit on revocation or surrender of authorisation

14.(1) Where a Payment Service Provider has surrendered its authorisation or the authorisation of a Payment Service Provider has been revoked by the Authority, the Authority may apply the security deposit, if any, mentioned in sub-regulation (4) of regulation 10, to pay any sums outstanding and claimed by Payment Service Users who are customers of the Payment Service Provider.

(2) Where a Payment Service Provider has surrendered its authorisation or the authorisation of a Payment Service Provider has been revoked by the Authority, the Authority shall release the security deposit, if any, mentioned in sub-regulation (4) of regulation 10 or any balance thereof if it is satisfied that:

- (a) there is no outstanding claim by any Payment Service User who is a customer of the Payment Service Provider; and
- (b) the Payment Service Provider has satisfied all conditions for surrender of authorisation under these regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, in order to meet any legitimate outstanding claim or dues, the security deposit shall be released after a period of one year from the date of approval for surrender of authorisation or revocation of authorisation by Authority.

Chapter III

Commencement of operations

15. (1) The Payment Service Provider shall commence its operations within six months from the date of issuance of Certificate of Authorisation.

(2) The Payment Service Provider may submit an application for extension of time, if instructed to do so by way of a resolution passed by its board of directors, for commencing operations at least two months before the latest date of commencement as stipulated under sub-regulation (1).

(3) The application under sub-regulation (2) shall, *inter-alia*, include complete details of the reasons behind the request for extension, duration of extension sought, steps being undertaken to overcome the delay and any other information which, in the opinion of the Payment Service Provider, is relevant to the request for extension.

(4) On receipt of the application under sub-regulation (2), if the Authority is satisfied that Payment Service Provider cannot commence its operation within stipulated time period, it may extend the time period by such further period, as it thinks fit, but not exceeding three (3) months:

Provided that any extension of the time period under this regulation shall not be granted more than once.

Chapter IV

Governance

Governance arrangements

16. (1) A Payment Service Provider shall comprehensively and clearly document its governance arrangements i.e., the framework under which its Board and senior management shall function.

(2) The governance arrangements shall, at minimum, include the following components namely:

- a. role and composition of the Board and any committees or sub-committees;
- b. senior management structure;
- c. reporting lines between management and the Board;
- d. ownership structure;
- e. internal governance policy;
- f. design of risk management and internal controls;
- g. procedures for the appointment of board members and senior management;
- h. processes for ensuring performance accountability.

(3) A Payment Service Provider shall not undertake activities other than providing Payment Services without the prior permission of the Authority and subject to such conditions as may be specified by the Authority

Provided that the Authority may, by general or special permission, permit a Payment Service provider to carry out activities other than providing Payment Services

(4) A Financial institution, set up as a company and authorised by the Authority under applicable regulatory framework, may seek authorisation to act as a Payment Service Provider under these regulations.

(5) A Payment Service Provider shall formulate clear and comprehensive rules and procedures for the Payment Services provided by it and shall provide sufficient information to enable Payment Service Users to have an accurate understanding of the risks, fees and other material costs they shall incur by availing such Payment Service(s).

17. (1) A Payment Service Provider shall develop a policy for management of risks including risk management policies, procedures, and systems that enable it to identify, measure, monitor, and manage the range of risks that arise in or are borne by it while providing payment service(s). Such policy shall be subject to periodic review by the Board of the Payment Service Provider.

(2) A Payment Service Provider shall establish a robust operational risk-management framework with appropriate systems, policies, procedures, and controls to identify, monitor, and manage operational risks.

(3) A Payment Service Provider that establishes a link, with one or more Payment Systems, shall identify, monitor and manage link-related risks.

Chapter V

Risk management of third-party service relationships

Identification of critical services and assessment of criticality

18. (1) A Payment Service Provider shall put in place a risk-based framework to assess the criticality of services that they receive or plan to receive from a Third-party Service Provider.

(2) Such assessment shall be undertaken at the time of commencement of operations and at regular intervals thereafter to identify critical services.

(3) The framework under sub-regulation (1) shall consider various factors relevant to identifying a service as “critical” including:

- a. the financial, operational and strategic importance of the service to the Payment Service Provider.
- b. the level of tolerance for disruption acceptable to the Payment Service Provider regarding critical business operations that rely or plan to rely on the Third-party Service Provider.
- c. the nature of any data or information shared by the Payment Service Provider with the Third-party Service Provider under a Service Relationship.
- d. the ease of substitutability of a service or lack thereof.

Onboarding and ongoing monitoring

19. (1) A Payment Service Provider shall conduct appropriate planning and due diligence before entering into a Third-Party Service Relationship arrangement for a critical service while ensuring that the level of due diligence is proportionate to the criticality of the relevant service.

(2) Factors that are to be considered in the due diligence process shall, *inter-alia*, include:

- a. Operational and technical capability and track record, including (if applicable) drawing on any prior engagement between the Payment Service Provider and the Third-party Service Provider (in general or in connection with the service to be provided);
- b. Financial soundness of the Third-party Service Provider to the extent it can affect the delivery of its services;
- c. Internal controls and risk management, including the Third-party Service Provider’s ability to manage Information and Communications Technology (ICT), cyber security and other operational risks;
- d. Management of supply chain risks, including use and oversight of Nth-Party Service Providers;
- e. Geographic dependencies and management of related risks;
- f. Key personnel involved in the delivery of the relevant service and their competency;
- g. Potential conflicts of interest;
- h. Existence of any recent or pending relevant complaints, investigations or litigation against the Third-party Service Provider and (if relevant) Nth-Party Service Providers;
- i. Ability to deliver the critical service in a way that allows the Payment Service Provider to comply with its legal and regulatory obligations;

- j. Ability to support the Payment Service Provider's business strategy and plans;
- k. Level of substitutability of the service and Third-party Service Provider.

(3) The services being received by a Payment Service Provider shall be procured through legally binding arrangements between the Payment Service Provider and a Third-party Service Provider.

(4) The legal arrangements under sub-regulation (3), shall, *inter-alia*, include a provision of sharing of information by the Third-party service provider with the Authority.

(5) A Payment Service Provider shall establish processes for ongoing monitoring of the Third-party Service Provider's ability to deliver the critical services in line with its contractual obligations.

Exit strategies

20. (1) A Payment Service Provider shall identify, document and to the extent practically feasible, test their strategy for exiting Third-party Service Relationship involving critical services.

(2) Such strategy shall cover a range of scenarios including planned migration of services, but also include adverse events like:

- (a) Violation or breach of applicable laws, regulations or contractual terms;
- (b) Deterioration in the quality of the services provided;
- (c) Weaknesses in the Third-party Service Provider's governance, financial condition, resilience or risk management that could reasonably impact the delivery of critical services;
- (d) Extended disruption to critical services that cannot be managed through other business continuity measures.

Reporting of incidents

21. The Payment Service Provider shall require the Third-party Service Providers to have clearly defined processes for identifying, investigating, remediating and notifying Payment Service Provider in a timely manner of incidents that impact the Third-party Service Provider's ability to deliver agreed-upon services.

Record of third-party service relationships

22. The Payment Service Provider shall maintain complete, up-to-date records of their Third-Party Service Relationship that are identified under sub-regulation 1 of regulation 18.

Chapter VI

Duties of the Payment Service Provider

Duty to protect Applicable Funds:

23. (1) The Payment Service Provider shall safeguard Applicable Funds including but not limited to compliance with the directions specified in Schedule VI.

(2) The Payment Service Provider shall at all times, keep Applicable Funds segregated from any other types of funds that it holds.

Duty to comply with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 (AML, CTF & KYC Guidelines)

24. (1) The Payment Service Provider shall ensure compliance with AML, CTF & KYC Guidelines and other provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the Rules made thereunder including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force.

(2) The Payment Service Provider using agents for providing its services shall:

- a) maintain an up-to-date list of such agents;
- b) include such agents in their AML/CTF programmes and monitor them for compliance with these programmes.

(3) A Payment Service Provider shall be responsible and accountable for the transactions/actions undertaken by their authorised agents.

(4) A Payment Service Provider shall maintain a log of all the transactions undertaken for at least ten years. This data shall be made available for scrutiny to the Authority or any other agency / agencies as may be directed by the Authority.

Duty to comply with laws

25. The Payment Service Provider shall comply with all applicable laws in India as well all applicable laws of any jurisdiction/s outside India where it provides services or where the Payment Service Users are based.

Duty of co-operation with the Authority

26. (1) A Payment Service Provider shall deal with the Authority in an open and co-operative manner. A Payment Service Provider shall keep the Authority duly informed of any significant event(s) relating to the Payment Service Provider.

(2) Any proposed major change, such as change in product features/process, structure or operation of the payment services, etc., shall be communicated to the Authority with complete details.

(3) A Payment Service Provider shall obtain prior approval of the Authority before entering into any transaction of merger, consolidation, re-organisation, scheme of arrangement or compromise with its shareholders or effect any scheme of amalgamation or reconstruction.

(4) The Authority may, for the purpose of carrying out its functions under these Regulation, conduct or get conducted audits and inspections of a Payment Service Provider and a Third-Party Service Provider and it shall be the duty of the Payment Service Provider and a Third-Party Service Provider to assist the Authority to carry out such audit or inspection, as the case may be.

Duty towards Payment Service Users

27. (1) A Payment Service Provider shall ensure that due regard is given to protecting the interests of Payment Service Users and the relevant information is communicated to them in a clear and fair manner that minimises the possibility of them getting misled.

(2) A Payment Service Provider shall comply with the disclosure requirements as specified in Schedule VII of these regulations.

Duty to secure the information technology systems and other infrastructure

28. (1) A Payment Service Provider shall secure its information technology systems and other infrastructure used for providing Payment Services from unauthorised access and manipulation.

(2) A Payment Service Provider shall prepare and maintain a written document outlining the security policies and procedures put in place to fulfil the duty at sub-regulation (1).

(3) The Authority may, if it feels necessary to do so, issue directions to the Payment Service Providers about the procedures to be followed for securing the information technology systems and other infrastructure used for providing Payment Services.

(4) The Authority may, if it feels necessary to do so, direct a Payment Service Provider to submit certificate (s) issued by independent professionals confirming the compliances under sub-regulations (1) and (2) and with the directions issued under sub-regulation (3).

Redressal of grievances and dispute resolution

29. (1) A Payment Service Provider shall depute adequate staff at its permanent place of business or registered office in IFSC to address any queries, complaints or grievances from a Payment Service User that uses one or more of the payment services provided by the Payment Service Provider and shall do so within a period of thirty days from receipt of a complaint or a grievance.

(2) Payments Service Users shall be provided with one or more channels – web-based or paper-based complaint form, IVR, mobile application, call centre, SMS, through branches or offices, etc. – for raising queries and for lodging complaints and grievances.

(3) Disputes between a Payment Service User and a Payment Service Provider, which could not be resolved by the internal grievance redressal mechanism in sub-section (1), shall be resolved by harnessing online conciliation and/or online arbitration in the manner as specified by the Authority.

(4) A Payment Service Provider shall maintain records regarding queries, complaints and grievances received by it and redressal of such complaints and grievances.

Action in case of default

30. The Authority may initiate appropriate enforcement action in case a Payment Service Provider contravenes any of the provisions of these regulations, direction or order made thereunder.

Chapter VII

Place of business or registered office: -

31. (1) A Payment Service Provider shall have its place of business and registered office in IFSC.

(2) A Payment Service Provider who wants to carry on some activities relating to a payment service from a place of business other than from IFSC shall seek prior approval from the Authority.

Chapter VIII

Returns, Documents and Other Information

Submission of returns, documents or other information etc.

32. Every Payment Service Provider shall submit requisite documents and information in such format and in such manner as may be specified by the Authority.

Furnishing of accounts and Balance Sheet

33. Every Payment Service Provider shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements, which includes Balance-sheet, Profit and Loss statement, Cash or Fund flow statement along-with the auditor's report thereon within three (3) months from the date of its finalisation to the Authority, along with the remarks or observations of the auditor, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on auditor's observations/remarks.

Provided that the Authority may, on an application made by the Payment Service Provider, extend the said period of three months for furnishing of returns by a further period not exceeding one month.

Maintenance of books of accounts, records and other documents

34. Every Payment Service Provider shall, *inter-alia*, maintain and preserve the following books of accounts, records and documents, in a format suitable for electronic retrieval, for a minimum of ten (10) years from the date of commencement of operations, namely: -

- (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;
- (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
- (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
- (d) a statement of net worth for each quarter;
- (e) documentation relating to compliance with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022;
- (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;
- (g) relevant records and documents relating to its activities in capital markets;
- (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.

Schedule I

Payment Services, Thresholds and Conditions

[Regulation 4(3) and 4(4)]

Part A

Activities which are Payment Services

1. The following activities, except the activities specified in Part B, are Payment Services for the purposes of these regulations:
 - a) account issuance service (including e-money account issuance service);
 - b) e-money issuance service;
 - c) escrow service;
 - d) cross border money transfer service;
 - e) merchant acquisition service.

Part B**Activities which are not Payment Services**

2. The following activities are not Payment Services for the purposes of these regulations –
- a) payment transactions on behalf of the payer or the payee, if performed by an agent authorised to negotiate or conclude the sale or purchase of goods or services on behalf of the payer or the payee, as the case may be;
 - b) payment transactions based on any of the following documents, each being a document drawn on a person with a view to placing money at the disposal of the payee;
 - (i) cheque, cashier's order, drawing voucher, dividend warrant, demand draft, remittance receipt, traveller's cheque or gift cheque;
 - (ii) paper postal order;
 - c) payment transactions carried out within a payment or securities settlement system between Payment Service Providers and settlement agents, central counterparties, clearing houses, central banks or other participants in the system;
 - d) payment transactions related to securities asset servicing, including dividends, income or other distributions, or redemption or sale, carried out by persons referred to in sub-paragraph (c);
 - e) payment transactions carried out between Payment Service Providers, or their agents or branch offices, for their own account;
 - f) payment transactions and related services between a Holding company and its subsidiary or between subsidiaries of the same Holding company, without any intermediary intervention by a Payment Service Provider other than Group Entities;
 - g) transporting currency, including the collection, processing and delivery of the currency, where the service is carried on as a business;
 - h) services provided by technical service providers, being an entity that supports the provision of payment services, without being in possession of the funds to be transferred at any time, including the services of:
 - (i) processing and storage of data;
 - (ii) trust and privacy protection services;
 - (iii) data and entity authentication;
 - (iv) information technology;
 - (v) communication network provision; and
 - (vi) provision and maintenance of terminals and devices used for payment services;
 - i) services based on specific payment instruments that can be used only in a limited way and meet one of the following conditions:
 - (i) allow the holder to acquire goods or services only in the premises of the issuer of the payment instrument;
 - (ii) are issued by an issuer and allow the holder to acquire goods or services only within a limited network of service providers which have direct commercial agreements with the user;
 - (iii) may be used only to acquire a very limited range of goods or services;

Part C**Thresholds and Conditions for designation as a Significant Payment Service Provider**

3. The following are the thresholds and conditions to be met by a Regular Payment Service Provider to be designated as a Significant Payment Service Provider –
- a) the Regular Payment Service Provider carries on a business of providing one or more of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule and
 - (i) the monthly average, over a calendar year, of the total value of all payment transactions that are accepted, processed, executed exceeds –

- A) \$2 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency), for any one of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule or;
 - B) \$4 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency), for two or more of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule;
- b) if the Regular Payment Service Provider intends to carry or carries on a business of providing an e-money account issuance service and
 - (i) the average daily value, over a calendar year, of all e-money that is stored in any payment account issued by the Regular Payment Service Provider exceeds \$3 million (or its equivalent in a specified foreign currency);
 - c) if the applicant or the Regular Payment Service Provider carries on a business of providing an e-money issuance service and
 - (i) the average daily value, over a calendar year, of the total value in one day of all e-money that is intended to be issued or issued by the Regular Payment Service Provider exceeds \$3 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency);

SCHEDULE II

[See Regulation 7(1)]

FIT AND PROPER REQUIREMENTS

1. This schedule sets out the fit and proper criteria applicable to all Relevant Persons. The Authority expects a Relevant Person to be competent, honest, to have integrity and to be of sound financial standing.
2. The criteria provided in this schedule are not meant to be exhaustive or a substitute for any legal provisions and are to be read in conjunction with any applicable legislation and any written instructions, notifications, standards, and additional guidelines that the Authority may issue from time to time.
3. A Payment Service Provider shall establish effective systems and controls to ensure that all the Relevant Persons meet the 'fit and proper' criteria.
4. A Payment Service Provider shall carry out 'fit and proper' evaluation, in the format specified in the annex to this schedule of all Relevant Persons, both at the time of their appointment and at reasonably regular frequency thereafter.
5. A Relevant Person shall be deemed to be a fit and proper person if, based on the evaluation undertaken under 3 or any other information available with it, a Payment Service Provider is satisfied -
 - (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to:
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications -
 - (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
 - (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
 - (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
 - (iv) the person has been declared an undischarged insolvent
 - (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
 - (vi) any other order against the person, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed;

- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorised as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as may be specified by the Authority

Annex to Schedule II

.Sr. No.	Particulars
1	<p>Whether any of the functionaries or any of the entities associated with the functionary have been refused a Registration/ Authorisation/ License by the Authority or any other regulatory authority or their Registration/ Authorization/ License has been suspended at any time prior to this application.</p> <p>(If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect).</p> <p><i>(for this clause , a person is said to be 'associated with' an entity if he/she is/ was a functionary of the entity)</i></p>
2	<p>Whether the functionary or any of the companies/ entities in which the functionary is/ was associated with¹, is in default or have defaulted in the past in respect of credit facilities obtained from any entity or bank?</p> <p>(If yes, please furnish information about the default and the name of the lending institution)</p>
3	<p>Whether any of the functionaries have been disqualified to act as promoter/ director/ key managerial personnel under any law in any jurisdiction where the applicant entity or the group companies of the applicant entity are operating?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
4	<p>Name/s of the companies, firms, partnership firms, in which any of the functionaries hold substantial interest.</p>
5	<p>Whether the Applicant/Group or any of the functionaries are/ were undergoing/ involved in any investigation/ disciplinary action/ legal or regulatory violations/ criminal case by any law enforcement/ regulatory agencies?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
6	<p>Whether any order has been passed by any bankruptcy/ resolution authority against any company/ entity with which any of the functionaries are/ were associated¹?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
7	<p>Whether any of the functionaries have been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
8	<p>Whether a recovery proceeding has been initiated against any of the functionaries by a financial regulatory authority and is pending?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
9	<p>Whether an order for winding up has been passed against any of the functionaries for malfeasance?</p> <p>If yes, please furnish details.</p>
10	<p>Whether an order restraining, prohibiting or debaring any of the functionaries from accessing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority/ courts, and a period of five years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed?</p>

	If yes, please furnish details.
11	Whether any other order against any of the functionaries, which has a bearing on the securities market, has been passed by any regulatory authority, and a period of five years from the date of the order has not elapsed? If yes, please furnish details.
12	Whether any of the functionaries i) have been declared insolvent and not discharged? If yes, please furnish details.
	ii) have been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force? If yes, please furnish details.
	iii) are financially not sound or have been categorized as a wilful defaulter? If yes, please furnish details.
	iv) have been declared a fugitive economic offender? If yes, please furnish details.

SCHEDULE III

[See Regulation 13(1)]

SURRENDER OF AUTHORISATION

A. For a Payment Service Provider that has commenced operations

1. A Payment Service Provider that has commenced operations and wishes to surrender the authorisation issued to it shall submit the following documents to the Authority:
 - a. A request in writing by its authorised signatory along with a copy of the resolution of its Board of Directors approving a proposal to surrender such authorisation along with the reason for and intent behind such surrender.
 - b. A certificate from its Chartered Accountant about the number of customer accounts and amounts held in such accounts as on the date of the resolution in 1(a). Such statement should also indicate the name of its Escrow account details, outstanding Escrow amount, and liabilities
A note outlining the process proposed to be followed by the Payment Service Provider and the timeline for extinguishing/ repaying the liabilities to the Payment Service Users, Merchants or any other parties.
 - c. An undertaking duly signed, by its authorised signatory, and clearly stating that it would not incur any fresh liability during the process of surrender of authorisation and closing down the business.
2. A request for surrender of authorisation shall be considered by the Authority on the merits of the request.
3. The Authority shall process such a request communicate its decision to the Payment Service Provider.
4. The Authority may advise the Payment Service Provider to initiate certain actions including:
 - a. Issue a public notice in English, Hindi and a vernacular language, in print/visual media, on 3 different occasions, informing the Payment Service Users / Merchants about its intent to surrender its payment services provider operations. Such public notice shall, *inter-alia*, indicate:

- i. That the Payment Service Users may either use the balances in their e-wallets or obtain refund, by credit to a bank account, within a stipulated period by making a request to the Payment Service Provider.
 - ii. The manner of sending of such requests for redemption.
 - iii. Name, contact address, phone number and email id of a Nodal officer of the Payment Service Provider to whom such requests are to be sent by the customer.
 - iv. Time period within which the company would redeem the balance after receipt of request from the customer.
- b. Submit a monthly progress report on the progress in extinguishing the liabilities of the Payment Service Users /Merchants.
5. On completing the process of extinguishing the liability to the Payment Service Users/ Merchants, the Payment Service Provider shall submit a 'No liability' certificate issued by its statutory auditor.
 6. The Payment Service Provider shall submit the original Certificate of Authorisation to the Authority for cancellation.

B. For a Payment Service Provider that has yet to commence operations

1. A Payment Service Provider that is yet to commence operations and wishes to surrender the authorisation issued to it shall submit the following documents to the Authority:
 - a. A request in writing by its authorised signatory along with a copy of the resolution of its Board of Directors approving a proposal to surrender such authorisation along with the reason for and intent behind such surrender.
 - b. A certificate from a Chartered Accountant to the effect that the Payment Service Provider has not commenced operations for which it had received authorisation from the Authority.
 - c. Copy of the latest audited balance sheet of the Payment Service Provider.

. Request for surrender of authorisation shall be considered by the Authority on the merits of the request.
2. The Authority shall process such a request and communicate its decision to the Payment Service Provider.
3. The Payment Service Provider shall submit the original Authorisation certificate to the Authority for cancellation.

SCHEDULE IV

[See Regulation 4 (1)]

PERSONS EXEMPTED FROM AUTHORISATION

1. An IFSC Banking Company (IBC) or an IFSC Banking Unit (IBU) licensed or permitted under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).
2. A person licensed to carry on the business of issuing credit cards in IFSC.
3. Any other person or class of persons, as may be specified by the Authority.

SCHEDULE V

[See regulation 6(1)]

MINIMUM NET WORTH REQUIREMENTS

1. A Regular Payment Service Provider shall have a minimum net-worth of USD 100,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) on the date of commencement of operations. A Regular Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 200,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) by the end of the third financial year (i.e., March 31) from the year of commencement of operations.
2. A Significant Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 250,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) within ninety days of the date of being so designated by the Authority. A Significant Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 500,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) by the end of the third financial year (i.e., March 31) from the year of designation as a Significant Payment Service Provider.

3. Net-worth shall consist of paid-up equity capital, preference shares that are compulsorily convertible to equity, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of assets but not reserves created by revaluation of assets adjusted for accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any. Compulsorily convertible preference shares can be either non-cumulative or cumulative, and they should be compulsorily convertible into equity shares and the shareholder agreements should specifically prohibit any withdrawal of this preference capital at any time.

SCHEDULE VI

Safeguarding of money received from Payment Service User

[See Regulation 23(1)]

(1) The directions in clause (2) below shall apply to every Regular Payment Service Provider and Significant Payment Service Provider that carries on a business of providing any of the following payment services:

- (a) a cross-border money transfer service;
- (b) a merchant acquisition service;
- (c) any other payment service that may be specified by the Authority.

(2) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider mentioned above, shall ensure that no later than the next business day after any applicable funds is received from, or on account of, a Payment Service User, the whole or such part, as may be specified, of the applicable funds, is safeguarded through one of the following means :

- (a) by an undertaking, from a safeguarding institution, to be fully liable to the customer for the applicable funds ;
- (b) by a guarantee given by a safeguarding institution for the amount of the applicable funds ;
- (c) by depositing the relevant money in a trust account maintained with a safeguarding institution;
- (d) in such other manner as may be specified by the Authority.

(3) The directions in clause (4) below, shall apply to every Regular Payment Service Provider and Significant Payment Service Provider that carries on a business of providing either of the following payment services:

- (a) an e-money issuance service;
- (b) any other payment service that may be specified by the Authority.

(4) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider mentioned in clause (3) above, shall ensure that from the time any applicable funds are received from, or on account of, a customer, the whole or such part, as may be specified, of the relevant money is safeguarded in one of the following manners:

- (a) by an undertaking, from a safeguarding institution, to be fully liable to the customer for the relevant money;
- (b) by a guarantee given by a safeguarding institution for the amount of the relevant money;
- (c) by depositing the relevant money in a trust account maintained with a safeguarding institution;
- (d) in such other manner as may be specified by the Authority.

(5) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider shall hold the applicable funds in an escrow account with an IBU. Separate escrow accounts shall be opened for holding applicable funds pertaining to each of the payment services listed in Part A of Schedule I.

(6) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider providing e-money issuance service shall ensure that the balance in the associated escrow account shall not, at the end of the day, be lower than the value of outstanding e-money issued and payments due to Payments Service Users.

(7) Credits to the escrow account shall be permitted for amounts received towards issue, load / reload of e-money wallets and refunds received for failed / disputed / returned / cancelled transactions;

(8) Debits to the escrow accounts shall be permitted for payments to Merchants/Payment Service Providers for the services obtained by the Payment Service User, payment to the IBU or IBC for processing funds transfer instructions of the payment service user, payments towards applicable taxes, refunds towards cancellation of transactions resulting in loading/reloading of balances and any other payments due to the Payment Service Provider as per the terms of contract entered into with the Payment Service User.

(9) The agreement between the Payment Service Provider and the IBU maintaining escrow account shall include a clause enabling the bank to use the money in the escrow account only for purposes mentioned in these regulations.

(10) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider providing e-money issuance service shall not :

- a) issue e-money at a premium or discount, i.e., issue e-money that has a monetary value different than the funds received;
- b) use the funds collected in exchange of e-money issued to extend loans or financing to any person;
- c) extend credit to the customer or any other person, or pay interest, profit or any other form of returns on the e-money balances, that would add to the monetary value of the e-money; and
- d) associate, link or use the e-money scheme or platform to conduct dubious or illegal activities.
- e) permit the e-money stored in e-wallets to be withdrawn in the form of cash

SCHEDULE VII

Mandatory Disclosure Requirements

[See Regulation 27(2)]

1. A Payment Service Provider must provide the information through following statement to all customers and potential customers in the manner specified in clause 2 below:

“< Name of Payment Service Provider > is authorised by the International Financial Services Centres Authority to provide payment services . Please note that this does not mean you will be able to recover the all the funds that you paid to the “< Name of Payment Service Provider > if the “< Name of Payment Service Provider >’s business fails”

2. The statement referred to in clause 1 above must :

- a. be published at least once in publicly available material issued by the Payment Service Provider;
- b. be provided to a potential customer prior to the potential customer using the payment services provided by the Payment Service Provider;
- c. be provided at least once in writing to any customer where such a customer was not provided the statement in the manner set out in (b);
- d. not be obstructed or obscured, or embedded within other unrelated writing;
- e. be of a reasonable size and typeface.

3. Where a Payment Service Provider makes a representation in respect of the scope of its regulation by the Authority in any publicly available material, the Payment Service Provider shall at all times ensure that the representation is accurate and not false or misleading.

4. A Payment Service Provider shall ensure that materials provided to customers or potential customers, are clear, complete, accurate, understandable and not misleading, regardless of the delivery channel.

5. Any advertisement or promotional material developed by the Payment Service Provider, regardless of its delivery channel, shall include:

- a. The identity and contact information of the Payment Service Provider;
- b. A statement to the effect that the Payment Service Provider is authorised by the Authority;
- c. A summary of the main terms and conditions associated with the Payment Service ;
- d. The qualifying criteria for participating in the promotion, and the duration of the promotion; and
- e. The contact information of the Payment Service Provider’s dispute resolution mechanism

6. A Payment Service Provider shall provide a summary of details of a transaction prior to the Consumer approving the transaction. The summary of details shall at a minimum include:

- a. Information that identifies the beneficiary of the transaction such as name and telephone number;
- b. The transaction amount;
- c. The fees and charges as a result of the transaction;

- d. A caution statement indicating time limits relevant for execution of the transaction and the point of time from which the time limits count, including the instance of finality and irrevocability of the transaction;
 - e. Where applicable, the average interbank exchange rate published
7. A Payment Service Provider shall issue, free of charge, a confirmation to a Payment Service User for every transaction undertaken by the Payment Service User. The confirmation shall at a minimum, contain the following:
- a. Name of beneficiary (if applicable);
 - b. Transaction amount;
 - c. Date transaction was completed;
 - d. The beneficiary's account or wallet number (if applicable);
 - e. The originating source of transaction (if applicable);
 - f. The contact information of the Payment Service Provider's dispute resolution mechanism.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./720/2023-24]